

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

रा.रा.क्षे. दिल्ली की रूपरेखा

ए. सामान्य आँकड़े					
क्र.सं.	विवरण		आँकड़े		
1	क्षेत्रफल		1483 वर्ग किमी		
2	जनसंख्या				
	ए.	2001 की जनगणना के अनुसार	1.39 करोड़		
	बी.	2011 की जनगणना के अनुसार	1.68 करोड़		
3.	ए.	जनसंख्या घनत्व (2001 के अनुसार) (सम्पूर्ण भारत का घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.)	9340 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.		
	बी.	जनसंख्या घनत्व (2011 के अनुसार) (संपूर्ण भारत का घनत्व = 382 * व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.)	11320 * व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.		
4	गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या (बी पी एल) (अखिल भारतीय औसत = 21.9 ** प्रतिशत)		उ.न.		
5.	ए.	साक्षरता(2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.8 प्रतिशत)	81.67 प्रतिशत		
	बी.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.0 *** प्रतिशत)	86.21 प्रतिशत		
6.	बाल मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म पर). (अखिल भारतीय औसत **** = 37 प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वालों पर)		21.35 ***		
7.	जन्म पर जीवन प्रत्याशा ***** (2011-15) (अखिल भारतीय औसत = 68.3 वर्ष)		उ.न.		
8.	गिनी गुणांक *****				
	ए.	ग्रामीण. (अखिल भारतीय = 0.29)	0.25		
	बी.	शहरी. (अखिल भारतीय = 0.38)	0.35		
9.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2016-17 वर्तमान मूल्य पर		₹ 6,22,384.64 करोड़		
10.	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. ***** मि.वा.वृ.द्ध. (2007-08 से 2016-17)		दिल्ली	14.03 प्रतिशत	
			सामान्य श्रेणी के राज्य	13.20 प्रतिशत	
11.	स.रा.घ.उ. मि.वा.वृ.द्ध ***** (2007-08 से 2016-17)		दिल्ली	16.46 प्रतिशत	
			सामान्य श्रेणी के राज्य	14.60 प्रतिशत	
बी वित्तीय आंकड़े					
विवरण		आँकड़े (प्रतिशत में)			
मि.वा.वृ.द्ध		2007-08 से 2015-16	2007-08 से 2016-17	2015-16 से 2016-17	
		सामान्य श्रेणी राज्य	दिल्ली	सामान्य श्रेणी राज्य	दिल्ली
ए.	राजस्व प्राप्ति का	14.58	9.71	11.52	-1.87
बी.	स्वयं के कर राजस्व का	14.80	11.40	13.50	3.03
सी.	गैर कर राजस्व का	9.45	-15.94	12.10	-26.14
डी.	कुल व्यय का	15.84	8.43	15.31	5.51
ई.	पूँजीगत व्यय का	14.53	-0.03	17.91	-20.52
एफ.	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	16.86	15.17	9.86	15.44
जी.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	18.43	13.66	14.92	12.48

* सेसंसइंफो इंडिया 2011 अंतिम जनसंख्या योग

** आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 (अगस्त 2017), खंड-II, पृष्ठ क 154

*** आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 (अगस्त 2017), खंड-II, पृष्ठ क 149

**** आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 (अगस्त 2017), खंड-II, पृष्ठ क 156

***** आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 (अगस्त 2017), खंड-II, पृष्ठ क 146

***** http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data_2312/DatabookDec2014%20106.pdf

***** भारत एवं राज्यों की जनसंख्या अनुमान 2001-2026 (दिसम्बर 2006 में संशोधित), राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट, तालिका-14,

***** एमओएसपीआई द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए 1 अगस्त, 2017 को जारी स.रा.घ.उ. विवरणी। गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य के संबंध में स.रा.घ.उ. आँकड़ें संबंधित महालेखाकारों से प्राप्त हुए हैं।

परिशिष्ट 1.2

भाग ए: सरकारी लेखों की संरचना एवं बनावट
(पैराग्राफ 1.1 को देखें)

सरकारी लेखों की संरचना: राज्य सरकार के लेखे दो भागों में रखे जाते हैं- (i) समेकित निधि तथा (ii) आकस्मिक निधि। दिल्ली में लोक लेखे नहीं है। लेन-देनों से संबंधित ऋण (लघु बचत योजनाओं के अलावा), जमा, अग्रिम, प्रेषणों तथा उचंतों को संघ सरकार के लोक लेखा में मिला दिए जाते हैं।

भाग I: समेकित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार बिलों के सभी ऋण, आंतरिक तथा बाह्य ऋण और ऋणों के पुनः भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक समेकित निधि बनाते हैं। राज्य की समेकित निधि की स्थापना भारत के संविधान की धारा 266(1) के अंतर्गत की गई।

भाग II: आकस्मिक निधि: राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना संविधान की धारा 267(2) के अंतर्गत की गई है जो राज्यपाल के अधिकाराधीन अग्रदाय के रूप में रखी जाती है जिससे वे अग्रिम देने के योग्य हो सके ताकि विधान मंडल द्वारा लम्बित प्राधिकार प्राप्त होने तक तत्कालीन अप्रत्याशित व्यय को पूरा किया जा सके। तदन्तर ऐसे व्यय के लिये तथा समेकित निधि से समतुल्य राशि के आहरण हेतु विधान मंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जिसके बाद आकस्मिक निधि से प्राप्त अग्रिम से निधि को पूरा किया जाता है।

भाग बी: वित्तीय लेखों का ले आउट

विवरण	ले आउट
विवरण सं.1	राज्य सरकार के लेन देनों का सारांश- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की समेकित निधि में प्राप्तियाँ तथा व्यय, राजस्व तथा पूँजी, लोक ऋण प्राप्तियाँ एवं संवितरण इत्यादि
विवरण सं.2	वर्ष की समाप्ति पर प्रगामी व्यय को दर्शाने वाले पूँजीगत परिव्यय की संक्षिप्त विवरणी
विवरण सं.3	राज्य की ऋण स्थिति का सारांश जिसमें भारत सरकार से उधार, अन्य देयताएं एवं ऋणों की सेवाएं सम्मिलित है।
विवरण सं.4	वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, किए गये पुनर्भुगतान और बकाया वसूलियों इत्यादि का सारांश।
विवरण सं.5	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ओर से भारत सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का सारांश
विवरण सं.6	वर्ष की समाप्ति पर शेषों का सारांश
विवरण सं.7	वर्ष के लिये विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कुल राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्यय की प्रतिशतता के रूप में राजस्व और व्यय
विवरण सं.8	वर्ष के दौरान किये गये प्रभारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण
विवरण सं.9	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व का विस्तृत लेखा
विवरण सं.10	वर्ष के लिये पृथक रूप से गैर योजनागत एवं योजनागत के अन्तर्गत लघु शीर्षों के राजस्व व्यय और मुख्य शीर्ष वार पूँजीगत व्यय के लेखे
विवरण सं.11	वर्ष के दौरान तथा समाप्ति तक किये गये विस्तृत पूँजीगत व्यय
विवरण सं.12	वर्ष की समाप्ति तक सरकारी कंपनियों तथा सहकारी संस्थानों में राज्य सरकार के निवेश का विवरण
विवरण सं.13	वर्ष की समाप्ति तक (राजस्व लेखों से बाहर) अन्य व्यय तथा पूँजीगत व्यय और प्रमुख स्रोत जिसमें निधियाँ उस व्यय के लिये प्रदान की गयी थी।
विवरण सं.14	ऋण, कर्जों तथा अग्रिमों इत्यादि से संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियों, संवितरणों और शेषों का विस्तृत लेखा।
विवरण सं.15	सरकार के ऋण का विस्तृत लेखा
विवरण सं.16	सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, वर्ष के दौरान अदा की गयी ऋणों की राशि तथा वर्ष की समाप्ति पर शेषों का विस्तृत लेखा

राजकोषीय संचय की समस्त रूपरेखा और प्रवृत्तियों के निर्धारण में प्रयुक्त कुछ चयनित पदों की परिभाषा नीचे दी गई है :

पद	गणना का आधार
एक पैरामीटर की उत्प्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि की दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य पैरामीटर (वाई) के संदर्भ में एक पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि की दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि की दर
वृद्धि की दर (वृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/पिछले वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{पिछले वर्ष के राजकोषीय देयताओं की राशि}+\text{वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएँ})/2]*100$
बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	$\text{ब्याज प्राप्ति}/[(\text{अथशेष}+\text{ऋणों और अग्रिमों का अंतशेष})/2]*100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्ति - विविध पूंजीगत प्राप्ति
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा + ब्याज का भुगतान
वर्तमान राजस्व का शेष (व.रा.शे.)	राजस्व प्राप्ति घटा सभी योजनागत अनुदान तथा गैर-योजनागत राजस्व व्यय प्रमुख शीर्ष 2048- ऋण से बचाव को कम करने के लिए विनियोजन के अंतर्गत रिकॉर्ड खर्चों के अलावा

परिशिष्ट 1.3
रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त पर समय सारणी आँकड़े
(पैराग्राफ 1.2 और 1.5 को देखें)

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
पार्ट ए: प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	25,560.97	27,980.69	29,584.59	34,998.85	34,345.74
(i) कर राजस्व	23,431.52	25,918.69	26,603.90	30,225.16	31,139.89
कृषि आय पर कर	-	-	-	-	-
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	15,803.69	17,925.71	18,289.31	20,245.82	21,144.24
राज्य उत्पाद शुल्क	2,869.74	3,151.63	3,422.39	4,237.69	4,251.40
वाहनों पर शुल्क	1,240.18	1,409.28	1,558.83	1,607.01	1,808.78
स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क	3,098.06	2,969.07	2,779.88	3,433.60	3,143.93
भूमि राजस्व	0.01	0.01	61.79	0.51	2.01
माल और यात्रियों पर कर	-	-	-	-	-
अन्य कर	419.84	463.00	491.70	700.53	789.53
(ii) गैर कर राजस्व	626.93	659.14	632.54	515.40	380.69
(iii) केन्द्र कर व शुल्क में राज्य अंश	-	-	-	-	-
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	1,502.52	1,402.86	2,348.14	4,258.29	2,825.16
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
3. ऋणों व अग्रिमों की वसूली	724.90	802.92	227.61	83.41	212.50
4. कुल राजस्व व गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	26,285.87	28,783.60	29,812.20	35,082.26	34,558.24
5. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ	922.41	4,162.89	1,764.32	2,241.13	1,695.53
आन्तरिक ऋण (पूर्वपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों के अतिरिक्त)	-	-	-	-	-
पूर्वपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	922.41	4,162.89	1,764.32	2,241.13	1,695.53
6. समेकित निधि से कुल प्राप्तियाँ (4+5)	27,208.28	32,946.49	31,576.52	37,323.39	36,253.77
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियाँ	-	-	-	10.00	-
8. सार्वजनिक खाता प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	27,208.28	32,946.49	31,576.52	37,333.39	36,253.77
पार्ट बी. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	20,659.36	22,366.52	23,509.49	26,342.55	29,301.92
योजनागत	6,498.72	7,462.28	7,946.30	8,379.32	8,716.59
गैर योजनागत	14,160.64	14,904.24	15,563.19	17,963.23	20,585.33
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतानों सहित)	5,738.57	5,597.48	5,983.40	6,427.12	6,590.28
सामाजिक सेवाएँ	11,737.43	12,314.54	13,306.11	14,817.83	16,578.89

आर्थिक सेवाएँ	2,350.82	3,650.01	3,318.99	4,138.71	5,111.41
सहायता अनुदान और योगदान	832.53	804.50	900.99	958.89	1,021.34
11. पूंजीगत व्यय	4,176.63	4,707.42	4,403.94	4,723.47	3,754.30
योजनागत	4,171.74	4,702.93	4,399.12	4,712.43	3,745.52
गैर योजनागत	4.90	4.49	4.82	11.04	8.78
सामान्य सेवाएँ	196.88	265.48	371.10	377.66	350.21
सामाजिक सेवाएँ	1,100.95	1,542.54	1,330.11	1,699.15	2,130.04
आर्थिक सेवाएँ	2,878.81	2,899.41	2,702.73	2,646.66	1,274.05
12. ऋणों तथा अग्रिमों का संवितरण	3,734.83	5,652.37	1,679.94	2,684.32	2,552.52
13. कुल व्यय (10+11+12)	28,570.82	32,726.31	29,593.37	33,750.34	35,608.74
14. सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान	1,287.99	1,325.29	1,346.72	1,435.17	1,654.62
आंतरिक ऋण (पूर्वपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों के अतिरिक्त)	-	-	-	-	-
पूर्वपाय अग्रिम व ओवरड्राफ्टों के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	1,287.99	1,325.29	1,346.72	1,435.17	1,654.62
15. आकस्मिक निधि से विनियोजन	-	-	-	10.00	-
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	29,858.81	34,051.60	30,940.10	35,195.51	37,263.36
17. आकस्मिक निधि से संवितरण	-	-	-	-	-
18. सार्वजनिक खाता से संवितरण	-	-	-	-	-
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	29,858.81	34,051.60	30,940.10	35,195.51	37,263.36
पार्ट सी. घाटा					
20. राजस्व घाटा(-)/ राजस्व आधिक्य (+)(1-10)	(+)4,901.61	(+)5,614.17	(+)6,075.10	(+)8,656.30	(+) 5,043.82
21. राजकोषीय घाटा(-)/ राजकोषीय आधिक्य(+)(4-13)	(-)2,284.95	(-)3,942.71	(+)218.83	(+)1,331.92	(-)1,050.50
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	(+)577.93	(-)1,118.42	(+)2,992.83	(+)4,141.73	(+)1,832.02
पार्ट डी. अन्य आँकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2,862.88	2,824.29	2,774.00	2,809.81	2,882.52
24. स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता	-	-	-	-	-
25. पूर्वपाय अग्रिम/उपयोग किए गए ओवरड्राफ्ट (दिन)	-	-	-	-	-
उपयोग किए गए अग्रिम पूर्वपाय (दिन)	-	-	-	-	-
उपयोग किए गए ओवरड्राफ्ट (दिन)	-	-	-	-	-
26. पूर्वपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	-	-	-	-	-

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1

27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)@	3,91,238.43	4,43,782.79	4,92,424.22	5,51,963.41	6,22,384.64
28. बकाया राजकोषीय देयताएँ	29,242.71	32,080.32	32,497.91	33,303.87	33,344.78
29. बकाया गारंटियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	-	-	-	-	-
30. अधिकतम गारंटी की गई राशि (वर्ष के अंत में)	-	-	-	-	-
पार्ट ई. राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक					
I संसाधन गतिशीलता					
निजी कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	5.99	5.84	5.40	5.48	5.00
निजी गैर-कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.16	0.15	0.13	0.09	0.06
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	7.30	7.37	6.01	6.11	5.72
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	111.78	116.96	100.03	96.43	103.68
राजस्व व्यय/कुल व्यय	72.31	68.34	79.44	78.05	82.29
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	50.23	46.60	53.85	51.92	54.68
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	22.58	32.26	21.48	23.33	21.25
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	14.62	14.38	14.88	14.00	10.54
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	13.93	13.57	13.63	12.88	9.56
III राजकोषीय असंतुलों का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/स.रा.घ.उ.	(+)1.25	(+)1.27	(+)1.23	(+)1.57	(+)0.81
राजकोषीय घाटा / स.रा.घ.उ.	(-)0.58	(-)0.89	(+)0.04	(+)0.24	(-)0.17
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/ स.रा.घ.उ.	(+) 0.15	(-)0.25	(+)0.61	(+)0.75	(+)0.29
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन					
राजकोषीय देयताएँ/ स.रा.घ.उ.	7.47	7.23	6.60	6.03	5.36
राजकोषीय देयताएँ/आर आर	114.40	114.65	109.85	95.16	97.09
प्रमात्रा प्रसार की तुलना में प्राथमिक घाटा	47.84	-90.65	393.72	358.92	133.89
ऋण मुक्ति (मूल+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक					
निवेश पर वापसी	0.16	0.07	0.07	0.07	0.06
चालू राजस्व से प्राप्त शेष (₹ करोड़ में)	10,231.39	12,000.50	12,001.21	15,682.35	12,053.98
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/देयताएँ	97.88	99.14	98.60	96.90	97.85

@ सरकार द्वारा सूचित स.रा.घ.उ. आंकड़े अपनाए गए हैं।

परिशिष्ट 1.4
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की प्रवृत्तियाँ
(पैराग्राफ 1.5 को देखें)

वर्ष	2012-13 (आर)	2013-14 (आर)	2014-15 (प्रथम आरई)	2015-16 (प्रथम आरई)	2016-17 (एई)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	3,91,238.43	4,43,782.79	4,92,424.22	5,51,963.41	6,22,384.64
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.81	13.43	10.96	12.09	12.76

स्त्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय का कार्यालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

(आर)- संशोधित आकलन, (प्रथम आरई) - प्रथम संशोधित आकलन, (एई) - अग्रिम आकलन

वर्ष	2012-13 (आर)	2013-14 (आर)	2014-15 (प्रथम आरई)	2015-16 (प्रथम आरई)	2016-17 (एई)
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	99,46,636	1,12,36,635	1,24,33,749	1,36,75,331	1,52,51,028
स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.86	12.97	10.65	9.99	11.52

स्त्रोत: 08 अगस्त 2017 को सी.एस.ओ. की वेबसाइट पर

परिशिष्ट 1.5

भाग ए : वर्ष 2016-17 के लिए प्राप्तियों तथा संवितरणों का सार
(पैराग्राफ 1.9.1 को देखें)

(₹ करोड़ में)

खण्ड क : राजस्व			संवितरण				
प्राप्ति			संवितरण				
2015-16		2016-17	2015-16		2016-17		
					गैर योजनागत	योजनागत	कुल
34,998.85	I. राजस्व प्राप्ति	34,345.74	26,342.55	I. राजस्व व्यय	20,585.32	8,716.60	29,301.92
30,225.16	कर राजस्व	31,139.89	6,427.12	सामान्य सेवाएं	6,327.40	262.88	6,590.28
			14,817.83	सामाजिक सेवाएं	8,915.57	7,663.32	16,578.89
515.40	गैर-कर राजस्व	380.69	6,652.63	शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	5,627.52	2,052.44	7,679.96
			3,248.62	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,956.33	1,697.73	3,654.06
	संघीय करों में राज्यों का अंश	-	2,550.39	जल आपूर्ति, स्वच्छता, गृह एवं शहरी विकास	942.79	2,161.43	3,104.22
			85.92	सूचना एवं प्रसारण	71.15	0	71.15
2,905.02	गैर-योजनागत अनुदान	1,118.71	251.83	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	14.38	88.18	102.56
486.72	राज्य योजनागत परियोजनाओं के लिए अनुदान	550.17	116.79	श्रम एवं श्रमिक कल्याण	112.15	11.42	123.57
			1,901.10	समाज कल्याण एवं पोषण	180.72	1,651.74	1,832.46
866.55	केन्द्र एवं केन्द्र प्रायोजित योजनागत परियोजनाओं के लिए अनुदान	1156.28	10.55	अन्य	10.53	0.38	10.91
			4,138.71	आर्थिक सेवाएं-	4,321.01	790.40	5,111.41
			93.03	कृषि एवं अन्य संबद्ध गतिविधियाँ	110.22	8.50	118.72
			10.24	ग्रामीण विकास	8.09	2.36	10.45
			-	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-
			151.25	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	166.84	0.30	167.14
			1,638.85	ऊर्जा	1,765.80	0.61	1,766.41
			39.71	उद्योग एवं खनिज	10.79	6.70	17.49
			2,042.21	परिवहन	2,096.57	744.99	2,841.56
			11.92	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	2.16	8.83	10.99
			151.50	सामान्य आर्थिक सेवाएं	160.54	18.11	178.65
			958.89	सहायता अनुदान एवं योगदान	1,021.34	-	1,021.34
			26,342.55	कुल	20,585.32	8,716.60	29,301.92
	II. राजस्व घाटा को आगे खण्ड ब तक ले जाना		8,656.30	II. राजस्व अधिशेष को आगे खंड ब तक ले जाना	-	-	5,043.82
34,998.85	कुल	34,345.74	34,998.85	कुल			34,345.74

खण्ड-ब : पूँजीगत एवं अन्य							
प्राप्ति			संवितरण				
2015-16		2016-17	2015-16		2016-17		
					गैर योजनागत	योजनागत	कुल
1,517.07	III. स्थायी अग्रिम एवं शेष नकद निवेश सहित प्रारंभिक नकद शेष	3,654.94		III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरंभिक ओवरड्राफ्ट			
	IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ			IV. पूँजीगत रूपरेखा			
			377.66	सामान्य सेवाएं-	7.88	342.33	350.21
			1,699.15	सामाजिक सेवाएं-	0.13	2,129.91	2,130.04
			1013.26	शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	0	1339.27	1339.27
			385.66	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.13	376.81	376.94
			231.36	जल आपूर्ति, स्वच्छता, गृह एवं शहरी विकास	0	346.70	346.70
				सूचना एवं प्रसारण	-	-	-
			34.63	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	0	25.75	25.75
			14.70	समाज कल्याण एवं पोषण	0	27.90	27.90
			19.54	अन्य	0	13.48	13.48
			2,646.66	आर्थिक सेवाएं-	0.77	1,273.28	1,274.05
			18.19	कृषि एवं अन्य संबद्ध गतिविधियाँ	0	17.31	17.31
			103.60	ग्रामीण विकास	0	127.90	127.90
			-	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-
			52.19	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0.77	59.00	59.77
			12.98	ऊर्जा	0	17.07	17.07
			30.00	उद्योग एवं खनिज	-	-	-
			2,428.75	परिवहन	0	1,051.07	1,051.07
			0.95	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	0	0.93	0.93
			-	सामान्य आर्थिक सेवाएं	-	-	-
			4,723.47	कुल	8.78	3,745.52	3,754.30
83.41	V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली-	212.50	2,684.32	V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	-	-	2,552.52
	पॉवर परियोजनाओं से		470.00	पॉवर परियोजनाओं के लिए	-	-	469.98

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1

	सरकारी सेवकों से		0.47	सरकारी सेवकों को	-	-	0.08
	अन्यों से		2,213.85	अन्यों का	-	-	2,082.46
	VI. राजस्व अधिशेष कम किया गया			VI. राजस्व घाटा कम किया गया			
2,241.13	VII. लोक ऋण प्राप्ति-	1,695.53	1,435.18	VII. लोक ऋण की पुनर्दायगी	-	-	1,654.62
-	बाह्य ऋण	-	-	बाह्य ऋण	-	-	-
-	पूर्वोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	-	-	पूर्वोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	-	-	-
-	पूर्वोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	पूर्वोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	-
2,241.13	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,695.53	1,435.18	केन्द्र सरकार को ऋण एवं अग्रिम की पुनर्दायगी	-	-	1,654.62
10.00	आकस्मिक निधि से विनियोजन	0	10.00	VIII. आकस्मिक निधि से विनियोजन			-
-	आकस्मिक निधि में स्थानांतरित राशि	-	-	IX. आकस्मिक निधि से व्यय			-
-	लोक लेखा प्राप्तियाँ	-	-	X. लोक खाता संवितरण			-
-	लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ	-	-	लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ			-
-	आरक्षित निधियाँ	-	-	आरक्षित निधियाँ			-
-	उचंत एवं विविध	-	-	उचंत एवं विविध			-
-	प्रेषण	-	-	प्रेषण			-
-	जमा एवं अग्रिम			जमा एवं अग्रिम			-
-	भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट		3,654.94	XI अंत में नकद शेष-			2,645.35
				खजाने में नकद एवं स्थानीय प्रेषण			-
				रिजर्व बैंक में जमा			-
				स्थायी अग्रिम को शामिल करते हुए विभागीय नकद शेष			-
				नकद शेष निवेश			
38,850.46	कुल	39,908.71	38,850.46	कुल	-	-	39,908.71

परिशिष्ट 1.5 (जारी)
(पैराग्राफ 1.9.1 को देखें)

(₹ करोड़ में)

पार्ट बी			
31 मार्च 2017 को रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति			
31-03-2016 को	देयताएँ		31-3-2017 को
33,303.87	केन्द्र सरकार से ऋण व अग्रिम		33,344.78
-	1984-85 से पूर्व के ऋण		-
33,303.86	गैर-योजनागत ऋण		33,344.77
-	राज्य योजनागत परियोजनाओं के लिए ऋण		-
-	केन्द्रीय योजनागत परियोजनाओं के लिए ऋण		-
0.01	केन्द्र प्रायोजित योजनागत परियोजनाओं हेतु ऋण		0.01
79,871.68	राजस्व अधिशेष		84,915.50
1,587.95	सी जी ए से 1994-95 के दौरान अंगीकृत पूंजीगत परिव्यय का शेष		1,587.95
3,356.46	1994-95 के दौरान सी जी ए से अंगीकृत ऋण व अग्रिमों का शेष		3,356.46
1,18,119.96	कुल		1,23,204.69
	परिसम्पत्तियाँ		
54,549.92	अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय	(ए)	58,304.21
18,492.15	कम्पनियों, निगमों इत्यादि के अंशों में निवेश	(बी)	18,933.05
36,057.77	अन्य पूंजीगत परिव्यय	(ए-बी)	39,371.16
59,915.10*	ऋण और अग्रिम	(सी)	62,255.13*
10,918.49	पॉवर परियोजनाओं हेतु ऋण	(डी)	11,713.69
33,380.84	अन्य विकास ऋण	एफ= सी- (डी+ई)	34,736.85
15,491.19	सरकारी कर्मचारियों को ऋण व विविध ऋण	ई	15,804.59
3,654.94	संघ सरकार में विलयित नकद शेष		2,645.35
1,18,119.96	कुल		1,23,204.69

*इस धनराशि में ₹ 124.58 करोड़ शामिल है जो पिछले वर्ष की वर्गीकरण त्रुटि के सुधार हेतु पूर्व अवधि समायोजन को दर्शाता है।

उपरोक्त विवरणों के दिए गए संक्षिप्त लेखों को वित्त लेखों में दी गई अभ्युक्तियों और स्पष्टीकरणों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। चूँकि सरकारी लेखे प्रमुखतः नकद आधार पर होते हैं, सरकारी खाते में घाटा, जैसा कि परिशिष्ट 1.5 में दर्शाया गया है, व्यावसायिक लेखा में उपाजन आधार के विपरीत नकद आधार में स्थिति को दर्शाते हैं। परिणास्वरूप भुगतान योग्य या प्राप्ति योग्य मदों अथवा स्टॉक आँकड़ों इत्यादि में अवमूल्यन या भिन्नता जैसी मदें खातों में नहीं दी गई हैं। सकल परिव्यय के अंतर्गत 31 मार्च 2016 तथा 31 मार्च 2017 तक के लिए दी गई क्रमशः ₹ 54,549.92 करोड़ तथा ₹ 58,304.21 करोड़ धनराशि की परिसंपत्तियों में ₹ 1,587.95 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है जो 1994-95 के दौरान महानियंत्रक लेखा से ग्रहण किए गए थे। इसी प्रकार परिसम्पत्तियों में दर्शाए गए 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2017 के लिए क्रमशः ₹ 59,790.52 करोड़ तथा ₹ 62,130.55 करोड़ की धनराशि के ऋण व अग्रिम में ₹ 3,356.46 करोड़ शामिल है। लेकिन इन वर्षों के लिए देयताओं में दर्शाए जाने वाले संगत आँकड़े वित्त लेखों में स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाए गए हैं।

परिशिष्ट 2.1

वर्ष 2016-17 के लिए प्रावधानों से अधिक व्यय जिनका नियमितीकरण
किया जाना अपेक्षित है
(पैराग्राफ 2.3.2 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम व संख्या	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय
	अनुदान सं.6: शिक्षा			
1	2202.80.800.41.00.42 सैकेण्डरी स्टेट शेयर विकलांगों हेतु एकीकृत शिक्षा (आई.ई.डी.एस.एस.)	0.50	0.52	0.02
	अनुदान सं.7: चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य			
2	2211.00.001.90.00.42 परिवार कल्याण निदेशालय (सी.एस.एस.)	4.65	4.83	0.18
	अनुदान सं.8: समाज कल्याण			
3	2235.02.103.45 गरीब विधावाओं की बेटियों तथा अनाथ लड़कियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता	9.00	9.52	0.52
	अनुदान सं.10: विकास			
4	2225.01.800.65.00.42 अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (सी.एस.एस.)	1.00	1.14	0.14
	अनुदान सं.11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण			
5	4202.03.800.99.00.53 एन.सी.सी. के लिए भवन का निर्माण	10.45	14.64	4.19
6	4210.01.110.99.78.42 आई.एस.एम. तथा होम्योपैथी निदेशालय	0.00	0.12	0.12
	अनुदान सं.13: पेंशन			
7	2071.01.111.89.00.04 पूर्व विधायकों को पेंशन	2.70	2.87	0.17
	कुल	28.30	33.64	5.34

परिशिष्ट 2.2

₹ 50 करोड़ तथा अधिक की बचतों के साथ अनुदानों की सूची
(पैराग्राफ 2.3.3 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम तथा संख्या	मूल अनुदान/ विनियोजन	पूरक अनुदान/ पुनर्विनियोजन	कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचतें	प्रतिशत	बचतों के कारण
राजस्व-दत्तमत								
अनुदान सं. 2: सामान्य प्रशासन								
1	2220.01.001.99- सूचना तथा प्रसारण	207.68	-26.25	181.43	71.65	109.78	60.51	कम दावे/बिल, रिक्त पदों का न भरा जाना, कम्प्यूटरों के क्रय प्रस्तावों का गैर-अन्तिकरण तथा विज्ञापनों के बिलों का गैर-अन्तिकरण
अनुदान सं. 03: न्याय प्रशासन								
2	2014.00.105.99 -सेशन कोर्ट	820.13	-2.70	817.43	696.53	120.90	14.74	रिक्त पद, कम दावे, सक्षम अधिकारी के अनुमोदन की प्राप्ति न होना
अनुदान सं. 06: शिक्षा								
3	2202.02.109- सरकारी सेकेण्डरी स्कूल	1,537.86	-84.86	1,453.00	1,392.71	60.29	4.15	रिक्त पद, कम दावे तथा एम.ए.सी.पी. मामलों के गैर-अन्तिकरण
4	2202.02.800.98- अतिरिक्त स्कूलिंग सुविधाएँ	2,968.14	-144.87	2,823.27	2,586.72	236.55	8.38	रिक्त पद, कम दावे तथा एम.ए.सी.पी. मामले तथा स्टैपिंग-अप मामले का गैर अन्तिकरण
अनुदान सं. 07 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य								
5	2210.01.800.44.00.42- दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन (सीएसएस)	200.00	57.00	257.00	175.68	81.32	31.64	विभाग से कारण प्रतीक्षित थे
अनुदान सं. 10: विकास								
6	2030.03.001.90.94- करों में शेरों के बदले द.दि.न.नि. को सहायता अनुदान	700.00	-150.00	550.00	493.12	56.88	10.34	कम अनुदान जारी किया जाना तथा क्रय-विक्रय के कम ट्रांजेक्शन

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1

7	2030.03.001.90.95- करों में शेरों के बदले द.दि.न.नि. को सहायता अनुदान	550.00	-100.00	450.00	354.82	95.18	21.15	प्रापटी के क्रय-विक्रय का कम ट्रांजेक्शन
अनुदान सं. 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण								
8	2059.80.053- रख-रखाव तथा मरम्मत	400.00	0.00	400.00	348.47	51.53	12.88	वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार व्यय किया गया था।
9	3054.04.105.98- लो.नि.वि. सड़कों का व्यापक रूप से रख-रखाव	0.00	100.00	100.00	28.68	71.32	71.32	व्यापक रूप से रख-रखाव का कार्य सौंपा नहीं गया था।
पूँजीगत-दत्तमत								
अनुदान सं. 04: वित्त								
10	7615.00.200.76.00.55- स्वायत्त/स्थानीय निकायों को अर्थोपाय ऋण	700.00	0.0	700	531.00	169.00	24.14	कम ऋण जारी किया जाना
अनुदान सं. 6: शिक्षा								
11	4202.01.600.94.00.42- स्कूल बिल्डिंग के कार्य की आउटसोर्सिंग	580.00	-300.00	280.00	201.95	78.05	27.88	कार्य की धीमी प्रगति
अनुदान सं. 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण								
12	5054.04.800.99.00.42- सड़कों तथा पुलों का निर्माण	1,031.00	-259.00	772.00	662.19	109.81	14.22	स्कीम की धीमी प्रगति तथा नई संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई।
कुल		9,694.81	(-) 910.68	8,784.13	7,543.52	1,240.61		

परिशिष्ट 2.3

विभिन्न अनुदान/विनियोजन जहाँ संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे

(प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ और उससे अधिक)

(पैराग्राफ 2.3.5 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचते	बचत के कारण
राजस्व-दत्तमत					
अनुदान सं. 4 - वित्त					
1	3454.02.800.73.00.50 अन्य प्रभार	25.00	0.00	25.00	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन
2	4059.01.051.86.00.53 व्यापार एवं कर एनेक्सी बिल्डिंग	2.00	0.00	2.00	स्कीम की धीमी प्रगति तथा दि.न.नि. से बिल्डिंग प्लान का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ था।
अनुदान सं. 6 - शिक्षा					
3	2202.01.107.85.96 एस.सी.ई.आर.टी. को सहायता अनुदान (स्टेट शेयर)	7.00	0.00	7.00	कम अनुदान जारी किया जाना तथा भारत सरकार द्वारा वित्तीयन प्रारूप को 75:25 से 100% तक संशोधित किया।
4	2202.02.800.31.00.42 सूचना तथा प्रसारण प्रौद्योगिकी के अधीन स्टेट शेयर	12.00	0.00	12.00	स्कीम की धीमी प्रगति तथा भुगतान के लिए बिलों को अंतिम रूप नहीं दिया गया।
5	2202.02.800.30.00.42 सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों (सी.एस.एस.) में सूचना तथा प्रसारण प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) के अधीन केन्द्रीय शेयर	38.00	0.00	38.00	स्कीम की धीमी प्रगति तथा भुगतान के लिए बिलों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया।
6	2236.02.102.99.00.42 बच्चों के लिए मिड-डे-मील	21.37	0.00	21.37	बिलों के कम दावे तथा भारत सरकार ने वित्तीयन प्रारूप को 75:25 से 100% तक संशोधित किया।
7	2236.02.102.89 मिड-डे-मील कार्यक्रम के लिए सहायता प्राप्त स्कूलों को सहायता अनुदान	2.10	0.00	2.10	भारत सरकार ने वित्तीयन प्रारूप को 75:25 से 100% का संशोधित किया।
8	2236.02.102.80 मिड-डे-मील कार्यक्रम के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को अनुदान	7.05	0.00	7.05	भारत सरकार ने वित्तीयन प्रारूप को 75:25 से 100% का संशोधित किया।
9	2236.02.102.78 मिड-डे-मील कार्यक्रम के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को अनुदान	3.95	0.00	3.95	भारत सरकार ने वित्तीयन प्रारूप को 75:25 से 100% का संशोधित किया।
10	2236.02.789.99.00.42 अनुसूचित जाति के बच्चों के मिड-डे-मील हेतु विशेष संघटक योजना (एस.सी.एस.पी.)	5.00	0.00	5.00	भारत सरकार ने वित्तीयन प्रारूप को 75:25 से 100% का संशोधित किया।
11	2236.02.789.90 मिड-डे-मील कार्यक्रम के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को अनुदान (एस.सी.एस.पी.)	1.55	0.00	1.55	भारत सरकार ने वित्तीयन प्रारूप को 75:25 से 100% का संशोधित किया।
12	2236.02.789.89 मिड-डे-मील कार्यक्रम के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम को अनुदान (एस.सी.एस.पी.)	1.35	0.00	1.35	भारत सरकार ने वित्तीयन प्रारूप को 75:25 से 100% का संशोधित किया।

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1

13	2203.00.112.45 दिल्ली स्किल/वोकेशनल युनीवर्सिटी को सहायता अनुदान	20.00	0.00	20.00	कम अनुदान जारी किया जाना तथा परियोजना के आरंभिक स्तर तक सहायता अनुदानों के लिए दावों की प्राप्ति नहीं हुई थी।
14	2230.03.800.79.00.42 स्किल डेवलेपमेंट इनीशिएटिव स्कीम	50.00	0.00	50.00	स्कीम की धीमी प्रगति तथा स्कीम को आरंभ नहीं किया जा सका था।
15	2202.03.104.76 कॉलेज जाने वाली छात्राओं के लिए छात्रावास के निर्माण हेतु कॉलेज को सहायता अनुदान	2.15	0.00	2.15	कम अनुदान जारी किया गया।
16	2202.03.112.87.00.42 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (सी.एस.एस.)	18.00	0.00	18.00	भारत सरकार से निधियों की गैर-प्राप्ति तथा अनिवार्य निकायों जैसे राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद को केवल 2016-17 के अन्त में बनाया गया था।
17	4202.02.104.87 नए पॉलीटेकनीक का गठन (सी.एस.एस.)	4.00	0.00	4.00	दावों की प्राप्ति नहीं हुई थी।
18	4202.02.105.88 जी.बी. पन्त इंजीनियरिंग कॉलेज	3.50	0.00	3.50	क्रय का गैर-अन्तिमकरण।
अनुदान सं. 7 - चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य					
19	2210.01.102.99 ई.एस.आई.सी. को अंशदान	10.00	0.00	10.00	दावों की गैर प्राप्ति तथा प्रस्तावों का गैर-अन्तिमकरण।
20	2210.01.110.14 डी.डी.यू. सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को सहायता अनुदान	52.00	0.00	52.00	कम अनुदान जारी किया जाना।
21	2210.01.110.11.00.42 द्वारका अस्पताल की स्थापना	2.00	0.00	2.00	स्कीम का गैर कार्यान्वयन।
22	2210.01.800.71.00.05 दिल्ली में कार्यरत सर्विस चिकित्सकों को स्टेट एवार्ड	1.10	0.00	1.10	प्रशासनिक कारण।
23	2210.05.105.99.81.42 चिकित्सा शिक्षा	2.00	0.00	2.00	स्कीम की धीमी प्रगति।
24	2210.06.800.89.00.42 सरकारी कर्मचारियों तथा पेशनरों के लिए चिकित्सीय सुविधाएँ	3.00	0.00	3.00	स्कीम की धीमी प्रगति।
25	2210.06.800.68 दिल्ली में सामान्य स्वास्थ्य देखभाल के लिए सोसाइटी को सहायता अनुदान	5.00	0.00	5.00	प्रशासनिक कारण।
26	2210.06.101.48.00.42 सी.टी. स्कैन तथा एम.आर.आई. यूनिट को शामिल करते हुए 24 घन्टे की आपातकालीन सेवाएँ	1.20	0.00	1.20	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन।
27	2210.06.101.32.00.42 टेली मशीन सुविधाएँ	6.50	0.00	6.50	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन।
28	2210.05.105.67 डी.डी.यू. मेडिकल कॉलेज की स्थापना	2.00	0.00	2.00	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन।
29	2211.00.101.78.00.42 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ: उप-केन्द्र (सी.एस.एस.)	1.55	0.00	1.55	जारी किए गए सहायता अनुदान के प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया।
30	2211.00.103.80.00.42 विशेष टीकाकरण कार्यक्रम एम.एम.आर.	5.10	0.00	5.10	स्कीम की धीमी प्रगति।
31	4210.80.190.96.00.54 सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश तथा अन्य	5.00	0.00	5.00	निविदाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया गया। सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ।

32	4210.01.110.87 डा. बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज	2.50	0.00	2.50	सी.पी.ए. द्वारा एम एण्ड ई. की खरीद।
33	4210.01.110.67 बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल	2.00	0.00	2.00	सी.पी.ए. द्वारा एम एण्ड ई. की खरीद तथा निविदाओं का गैर अंतिमकरण गया।
34	4210.01.110.86 श्री दादा मातृ एवम शिशु चिकित्सालय	1.00	0.00	1.00	सक्षम अधिकारी से भुगतान के लिए अनुमोदन की प्राप्ति नहीं हुई।
35	4210.01.110.79 आचार्य भिक्षु अस्पताल	1.50	0.00	1.50	सी.पी.ए. द्वारा एम एण्ड ई. की खरीद।
36	4210.01.110.70 ए. एण्ड यू. तिबिया कॉलेज	1.00	0.00	1.00	सी.पी.ए. द्वारा एम एण्ड ई. की खरीद।
अनुदान सं. 8 - समाज कल्याण					
37	2235.02.200.81.00.42 ट्रांसजेंडरों को वित्तीय सहायता	1.00	0.00	1.00	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन।
38	2235.02.800.70.00.42 मॉस मीडिया एंड एजुकेशन (एस.डब्ल्यू.डी.)	1.00	0.00	1.00	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन।
39	2225.01.277.51.00.34 अ.पि.व. छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (सी.एस.एस.)	1.00	0.00	1.00	भारत सरकार से निधि की देर से प्राप्ति हुई।
40	2225.01.789.81 दिल्ली हेल्थ मिशन द्वारा अ.जा. महिलाओं के लिए प्रसव-पूर्व मामलों में सांस्थानिक प्रसूति कराए जाने को सहायता अनुदान (एस.सी.एस.पी.)	1.00	0.00	1.00	स्कीम का गैर अंतिमकरण।
41	2225.02.190.98 अ.ज.जा. की सुरक्षा के लिए सोसायटी (सी.एस.एस.)	1.00	0.00	1.00	स्कीम को अन्तिम रूप नहीं दिया गया।
42	2225.80.789.95.00.42 हाथ से कूड़ा उठाने जैसे रोजगार के निषेध का कार्यान्वयन तथा उनका पुनरूद्धार (एसीएसपी)	4.00	0.00	4.00	स्कीम की धीमी प्रगति तथा स्थानीय निकायों द्वारा निधि माँगी नहीं गई।
43	2225.80.800.65.00.42 हाथ से कूड़ा उठाने जैसे रोजगार के निषेध का कार्यान्वयन तथा उनका पुनरूद्धार (एसीएसपी)	6.00	0.00	6.00	स्कीम की धीमी प्रगति तथा स्थानीय निकायों द्वारा निधि माँगी नहीं गई।
44	3055.00.001.89 पाल्युशन ऑटोमैटिक नम्बर प्लेट को मान्यता	1.00	0.00	1.00	स्कीम की धीमी प्रगति।
45	3055.00.001.88 कार फ्री डे	1.00	0.00	1.00	स्कीम की धीमी प्रगति।
46	3055.00.001.87 फीडर बस सर्विस/इलेक्ट्रॉनिक वाहन	1.00	0.00	1.00	स्कीम की धीमी प्रगति।
47	3452.80.190.85 जनकपुरी के दिल्ली हाट के विकास के लिए डी.टी. एवं टी.डी.सी. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	7.00	0.00	7.00	मंत्रालय द्वारा पर्याप्त निधि जारी नहीं की गयी।
48	4235.02.101.82 दिव्यांग अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन की स्कीम (एसआईपीडीए) सीएसएस)	3.00	0.00	3.00	सक्षम अधिकारी से प्राधिकार प्राप्त नहीं किया गया।
49	5055.00.190.99.00.54 बसों की खरीद के लिए डीटीसी को इक्विटी पूंजी	150.00	0.00	150.00	इक्विटी पूंजी को जारी नहीं किया जाना।
50	5055.00.190.78.00.54 डी.टी.सी. एवं कलस्टर बसों में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाया जाना	90.00	0.00	90.00	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन।
51	5055.00.190.77.00.54 डी.टी.सी. एवं कलस्टर बसों में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाया जाना (सी.एस.एस.)	10.00	0.00	10.00	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन।

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1

52	5055.00.800.89.00.42 मोनो रेल	1.00	0.00	1.00	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन।
53	5055.00.800.88.00.42 पैदल यात्री तथा गैर-मोटर वाहनों को प्रोत्साहन	1.00	0.00	1.00	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन।
अनुदान सं. 9 - उद्योग					
54	3456.00.103.93.00.42 आवश्यक वस्तुओं के बढ़े हुए मूल्यों की रोकथाम हेतु बाजारी हस्तक्षेप के लिए प्रावधान	11.00	0.00	11.00	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन।
55	4851.00.101.72.00.42 इंडस्ट्रियल एस्टेट फ्लैटिड फैक्ट्री काम्प्लैक्स की सिविक सेवाओं को संभालना, सुधारना तथा उन्नयन	20.00	0.00	20.00	निधि का पूंजी से ऋण में हस्तांतरण।
56	6851.00.101.98.00.55 इंडस्ट्रियल एस्टेट फ्लैटिड फैक्ट्री काम्प्लैक्स की सिविक सेवाओं को संभालना, सुधारना तथा उन्नयन के लिए डी.एस.आई.आई.डी.सी. को ऋण	20.00	0.00	20.00	प्रस्तावों को अनुदान में बदलने का गैर-अन्तिमकरण।
अनुदान सं. 10 - विकास					
57	2030.01.101.99.00.42 स्टैम्प की लागत	1.22	0.00	1.22	सक्षम अधिकारी से अनुमोदन की गैर प्राप्ति ।
58	2030.02.101.99.00.42 सैक्रेटरी रेवेन्यू	3.00	0.00	3.00	ई-स्टैंपिंग।
59	2070.00.800.61 मोहल्ला रक्षा दल	200.00	0.00	200.00	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन।
60	2235.02.200.80.00.42 अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए वित्तीय सहायता/छात्रवृत्ति तथा अन्य समाज सुरक्षा स्कीम	10.00	0.00	10.00	स्कीम की धीमी प्रगति तथा निधि के लिए लाभार्थी विभागों से प्रस्तावों की गैर-प्राप्ति।
61	2053.00.800.73 डी.यू.डी.ए. जिला दक्षिण पश्चिम को अनुदान	35.00	0.00	35.00	कम अनुदान जारी किया गया तथा सहायता अनुदान जारी नहीं की गई।
62	2053.00.800.71 डी.यू.डी.ए. जिला पश्चिम को अनुदान	35.00	0.00	35.00	कम अनुदान जारी किया गया तथा निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका
63	2053.00.800.70 डी.यू.डी.ए. जिला उत्तर पूर्वी को अनुदान	25.00	0.00	25.00	कम अनुदान जारी किया जाना तथा नए कार्यों का निष्पादन नहीं किया जाना।
64	2053.00.800.69 डी.यू.डी.ए. जिला उत्तर पश्चिमी को अनुदान	35.00	0.00	35.00	कम अनुदान जारी किया गया तथा प्रत्याशित व्यय नहीं हुआ।
65	2053.00.800.68 डी.यू.डी.ए. जिला उत्तरी को अनुदान	40.00	0.00	40.00	कम अनुदान जारी किया जाना तथा वर्ष 2016-17 की स्कीम का गैर-विस्तारण।
66	2053.00.800.67 डी.यू.डी.ए.जिला शाहदरा को अनुदान	25.00	0.00	25.00	कम अनुदान जारी किया जाना तथा मोहल्ला सभा को आयोजित करने के लिए निर्देशों का प्राप्त नहीं किया जाना।
67	2053.00.800.66 डी.यू.डी.ए. जिला दक्षिण पूर्वी को अनुदान	35.00	0.00	35.00	कम अनुदान जारी किया जाना तथा मोहल्ला सभा आयोजित करने के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाना।
68	4250.00.101.99 आपदा आकस्मिक योजना/आपदा प्रतिक्रिया निधि	3.00	0.00	3.00	प्रस्ताव का गैर-अंतिमकरण

अनुदान सं. 11 - शहरी विकास तथा लोक निर्माण					
69	2215.02.191.89 जे.एन.एन.यू.आर.एम. परियोजना के अधीन मुख्य नालों के साथ इन्टरसेक्टर सीवर के लिए दि.ज.बो. को सहायता अनुदान	200.00	0.00	200.00	कम अनुदान जारी किया जाना तथा प्रस्तावों को कार्यान्वित नहीं किया जाना।
70	2215.02.191.86 राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (सी.एस.एस.)	10.00	0.00	10.00	भारत सरकार से निधि की गैर प्राप्ति।
71	2217.80.191.44.99 यमुनापार क्षेत्र में विभिन्न विकास निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को अनुदान	10.00	0.00	10.00	कम अनुदान जारी किया जाना तथा औपचारिकताएँ पूरी नहीं की गई।
72	2217.80.191.19.98 अप्राधिकृत कॉलोनियों में आवश्यक सेवाओं के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम को अनुदान	20.00	0.00	20.00	कम अनुदान जारी किया जाना।
73	2217.80.191.19.99 अप्राधिकृत कॉलोनियों में आवश्यक सेवाओं के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को अनुदान	40.00	0.00	40.00	कम अनुदान जारी किया जाना।
74	2217.80.191.06.00.42 प्रवेश द्वार का सौन्दर्यीकरण	1.00	0.00	1.00	स्कीम की धीमी प्रगति।
75	2217.80.191.05 स्थापना प्रभारों के लिए डी.यू.एस.आई.बी. को सहायता अनुदान	1.00	0.00	1.00	सहायता अनुदान जारी नहीं किया गया।
76	2217.80.191.04.99 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निर्माण के लिए पूर्वी दि.न.नि. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	24.50	0.00	24.50	भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।
77	2217.80.191.04.97 कैपेसिटी बिल्डिंग ए. एंड ओ.ई. के लिए दक्षिण दि.न.नि. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	1.00	0.00	1.00	भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।
78	2217.80.191.04.96 कैपेसिटी बिल्डिंग ए. एंड ओ.ई. के लिए उत्तरी दि.न.नि. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	1.00	0.00	1.00	भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।
79	2217.80.191.04.94 जन जागरूकता तथा आई.ई.सी. क्रियाकलापों के लिए पूर्वी दि.न.नि. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	1.00	0.00	1.00	भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।
80	2217.80.191.04.93 जन जागरूकता तथा आई.ई.सी. क्रियाकलापों के लिए दक्षिण दि.न.नि. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	1.00	0.00	1.00	भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।
81	2217.80.191.04.92 जन जागरूकता तथा आई.ई.सी. क्रियाकलापों के लिए उत्तरी दि.न.नि. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	1.00	0.00	1.00	भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।
82	2217.80.191.04.90 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए डी.यू.एस.आई.बी. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	2.00	0.00	2.00	भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।
83	2217.80.191.04.89 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए पूर्वी दि.न.नि. को सहायता अनुदान	1.90	0.00	1.90	भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।
84	2217.80.191.04.88 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निर्माण के लिए उत्तरी दि.न.नि. को सहायता अनुदान	36.90	0.00	36.90	भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1

85	2217.80.191.04.87 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निर्माण के लिए दक्षिण दि.न.नि. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	25.50	0.00	25.50	भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति
86	2217.80.191.04.86 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निर्माण के लिए नई दिल्ली नगर परिषद को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	9.00	0.00	9.00	भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।
87	2217.80.191.04.85 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निर्माण के लिए दिल्ली छावनी बोर्ड को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	11.00	0.00	11.00	भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।
88	2217.80.191.04.84 जन जागरूकता तथा आई.ई.सी. क्रियाकलापों के लिए न.दि.न.प. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	1.00	0.00	1.00	भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।
89	2217.80.191.04.83 जन जागरूकता तथा आई.ई.सी. क्रियाकलापों के लिए दिल्ली छावनी बोर्ड को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	1.00	0.00	1.00	भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।
90	2217.80.191.04.82 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए उत्तरी दि.न.नि. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	8.00	0.00	8.00	भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।
91	2217.80.191.04.81 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए दक्षिण दि.न.नि. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	8.00	0.00	8.00	भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।
92	2217.80.191.04.80 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए पूर्वी दि.न.नि. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	14.50	0.00	14.50	भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।
93	2217.80.191.04.79 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए दिल्ली छावनी बोर्ड को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	3.00	0.00	3.00	भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।
94	2217.80.191.04.78 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए डी.यू.एस.आई.बी. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	49.00	0.00	49.00	भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।
95	2217.80.191.03.78 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए डी.यू.एस.आई.बी. को सहायता अनुदान (स्टेट शेयर)	12.00	0.00	12.00	स्कीम पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं की गई थी।
96	3054.04.800.87 शहरी सड़कों के लिए पू.दि.न.नि. को सहायता अनुदान	10.00	0.00	10.00	कम अनुदान जारी किया जाना तथा उपलब्ध निधि के अव्ययित शेष को जारी नहीं किया जाना।
97	3054.04.800.86 शहरी सड़कों के लिए पू.दि.न.नि. को सहायता अनुदान-सी.आर.एफ. स्कीम	12.00	0.00	12.00	कम अनुदान जारी किया जाना।
98	3054.04.800.85 शहरी सड़कों के लिए द.दि.न.नि. को सहायता अनुदान - सी.आर.एफ. स्कीम	10.00	0.00	10.00	कम अनुदान जारी किया जाना।
99	3054.04.800.84 शहरी सड़कों के लिए पू.दि.न.नि. को सहायता अनुदान सी.आर.एफ. स्कीम	5.00	0.00	5.00	कम अनुदान जारी किया जाना।
100	3054.04.800.83 जे.एन.एन.यू.आर.एम. के लिए न.दि.न.नि. को सहायता अनुदान	25.00	0.00	25.00	कम अनुदान जारी किया जाना।

101	3054.04.800.82 जे.एन.एन.यू.आर.एम. के लिए द.दि.न.नि. को सहायता अनुदान	20.00	0.00	20.00	कम अनुदान जारी किया जाना तथा भारत सरकार द्वारा स्कीम को बन्द किया जाना।
102	3054.04.800.81 जे.एन.एन.यू.आर.एम. के लिए पू.दि.न.नि. को सहायता अनुदान	15.00	0.00	15.00	कम अनुदान जारी किया जाना तथा भारत सरकार द्वारा स्कीम को बन्द किया जाना।
103	3054.04.800.80 जे.एन.एन.यू.आर.एम. के लिए न.दि.न.नि. को सहायता अनुदान	28.00	0.00	28.00	कम अनुदान जारी किया जाना।
104	2801.05.800.86 वी.आर.एस. लाभों के लिए आई.पी.जी.सी.एल. को सहायता अनुदान	2.00	0.00	2.00	सक्षम अधिकारी से अनुमोदन का प्राप्त नहीं किया जाना।
105	2801.05.800.80 एमनेस्टी स्कीमों के कारण विद्युत उपभोक्ताओं को एक बार राहत	23.00	0.00	23.00	सक्षम अधिकारी से अनुमोदन का प्राप्त नहीं किया जाना।
106	6215.01.191.80.00.55 वजीराबाद डब्ल्यू.टी.पी. के लिए दि.ज.बो. को ऋण	3.75	0.00	3.75	कम ऋण जारी किया जाना तथा ए.डी.बी. के ऋण शेयर की गैर-प्राप्ति।
107	6215.01.191.85.00.55 यमुना एक्शन प्लान-III के अंतर्गत सीवरेज के पुनर्निर्माण के लिए दि.ज.बो. को ऋण दिल्ली गवर्नमेंट शेयर	2.00	0.00	2.00	कम ऋण जारी किया जाना।
108	6217.60.191.91.97.55 अनुमोदित कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए पू.दि.न.नि. को ऋण	25.00	0.00	25.00	कम ऋण जारी किया जाना, अव्ययित शेषों की उपलब्धता होना तथा कार्य की धीमी प्रगति।
109	6217.60.191.83.00.55 गंदी बस्तियों का उनके स्थान पर पुनर्निर्माण योजना के लिए डी.यू.एस.आई.बी. को ऋण	100.00	0.00	100.00	कम ऋण जारी किया जाना तथा परियोजना को अन्तिम रूप न दिया जाना।
110	4210.03.105.99.96.53 एम.ए.एम. कॉलेज का विस्तार	1.00	0.00	1.00	स्कीम की धीमी प्रगति।
111	4235.02.101.86.00.53 सेवाकुटीर कॉम्प्लेक्स किंगजवे कैम्प फेज-II में कॉलेज जाने वाले अंध (छात्रों) के लिए अस्पताल का निर्माण	5.00	0.00	5.00	स्कीम की धीमी प्रगति तथा नई संस्वीकृतियों की प्राप्त नहीं हुई थी।
112	4235.02.101.85.00.53 तिमारपुर में कॉलेज जाने वाली अंध (छात्राओं) के अस्पताल का निर्माण	5.00	0.00	5.00	स्कीम की धीमी प्रगति तथा नई संस्वीकृतियों की प्राप्त नहीं हुई थी।
113	4235.02.101.84.00.53 नरेला में मानसिक रूप से विक्रिप्त लोगों के लिए घर का निर्माण	2.00	0.00	2.00	स्कीम की धीमी प्रगति तथा कार्य की संस्वीकृति नहीं मिली।
114	4235.02.103.88.00.53 नौकरीपेशा महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण	1.00	0.00	1.00	नई संस्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।
115	5054.04.800.83.00.53 सड़कों का व्यापक रूप से रख-रखाव	100.00	0.00	100.00	स्कीम की धीमी प्रगति।
116	5054.04.800.82.00.53 एल.ई.डी. स्क्रीन का प्रावधान	137.00	0.00	137.00	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन तथा नई संस्वीकृति की गैर प्राप्ति
117	5054.04.800.81.00.53 सी.सी.टी.वी. कैमरों का लगाया जाना	200.00	0.00	200.00	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन तथा संस्वीकृति की गैर प्राप्ति
118	4810.00.102.95 स्टेट एनर्जी संरक्षण	2.00	0.00	2.00	विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है।
अनुदान सं. 12 - सरकारी कर्मचारियों को ऋण					
119	7610.00.201.00.55 भवन निर्माण अभियम	1.06	0.00	1.06	सरकारी कर्मचारियों से कम आवेदन पत्रों की प्राप्ति।
कुल		2,335.80	0.00	2,335.80	

परिशिष्ट 2.4
निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन (जहाँ अंतिम बचतें
₹ एक करोड़ से अधिक थीं)
(पैराग्राफ 2.3.7 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचत	बचत के कारण
राजस्व-दत्तमत				
अनुदान सं. 2: सामान्य प्रशासन				
1	2052.00.090.79.00.42 ए.आर. विभाग का सुदृढीकरण	0.84	1.00	प्रस्तावों को कार्यान्वित नहीं किया गया।
	कुल	0.84	1.00	
अनुदान सं. 3: न्याय का प्रशासन				
2	2052.00.090.76 सचिवालय: कानून विभाग	0.48	2.42	द.दि.न.नि. को भुगतान के लिए निधि प्राप्त करने में विलंब।
3	2015.00.102 चुनाव अधिकारी	1.81	2.25	रिक्त पद तथा प्रत्याशित बिल प्राप्त नहीं होना।
	कुल	2.29	4.67	
अनुदान सं. 4: वित्त				
4	4059.01.051.85.00.27 बिल्डिंग का नवीनीकरण रख-रखाव	1.00	6.10	सक्षम प्राधिकारी से अनुमानों का अनुमोदन प्राप्त नहीं होना।
	कुल	1.00	6.10	
अनुदान सं. 5: गृह				
5	4070.00.800.88 सैन्ट्रल जेल	1.15	2.08	निधि की देर से प्राप्त के कारण उनका उपयोग नहीं किया जा सका।
	कुल	1.15	2.08	
अनुदान सं. 6: शिक्षा				
6	2202.01.107.85.99 एस.सी.ई.आर.टी. (सी.एस.एस.) को सहायता अनुदान	1.00	1.00	भारत सरकार द्वारा कम निधि जारी किया जाना।
7	2202.80.800.38 सर्व शिक्षा अभियान (सीएसएस)	49.99	54.22	भारत सरकार द्वारा कम निधि जारी किया जाना।
8	2236.02.102.87 मिड-डे-मील स्कीम की मैनेजमेंट मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन	4.99	45.92	भारत सरकार द्वारा कम निधि जारी किया जाना।
9	2203.00.001.99 तकनीकी शिक्षा निदेशालय	0.04	1.58	प्रत्याशित बिलों को प्राप्त नहीं किया जाना, ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. मामलों का गैर-अन्तिमकरण।
10	2205.00.102.91 उर्दू अकादमी को अनुदान	0.54	1.44	दि.न.नि. चुनावों के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता लागू, इसीलिए कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया।
11	2205.00.102.90 पंजाबी अकादमी को अनुदान	0.79	1.62	रिक्त पद तथा प्रत्याशित बिलों की गैर प्राप्ति।
12	2202.03.112.89 दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हैरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट	0.38	1.05	निधि जारी किये जाने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ।
	कुल	57.73	106.83	

अनुदान सं. 7: चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य				
13	2210.01.110.63 आई.एच.बी.ए.एस. को सहायता अनुदान	14.99	24.00	प्रशासनिक कारण।
14	2210.01.110.33 दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को सहायता अनुदान	4.99	21.25	प्रशासनिक कारण।
15	2210.01.110.12 चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय को सहायता अनुदान	9.99	11.50	प्रशासनिक कारण।
16	2210.80.800.71.00.05 दिल्ली में कार्यरत चिकित्सकों को स्टेट अवार्ड	0.60	1.10	प्रशासनिक कारण।
17	2210.01.800.44.00.42 दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन (सी.एस.एस.)	56.99	81.32	प्रशासनिक कारण।
18	2210.06.800.68 दिल्ली में युनिवर्सिटी हेल्थ केयर के लिए सोसायटी को सहायता अनुदान	4.97	5.00	प्रशासनिक कारण।
19	2211.00.101.78.00.42 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ: सब-केन्द्र (सी.एस.एस.)	0.85	1.55	भारत सरकार के जारी किए गए प्रस्तावों का अन्तिमकरण नहीं किया गया।
20	2211.00.102.80.00.42 शहरी परिवार कल्याण केन्द्र (सी.एस.एस.)	9.25	17.76	भारत सरकार के जारी किए गए प्रस्तावों का अन्तिमकरण नहीं किया गया।
21	2211.00.102.78.00.42 शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों का पुनरुद्धार	1.15	1.56	निधि अव्ययित रही जब तक मामले विचाराधीन थे।
22	2210.02.101.60 खेरा डाबर में दिल्ली आयुर्वेदिक चरक संस्थान को सहायता अनुदान	5.27	11.78	परिसम्पत्तियों के क्रय के लिए औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया जा सका था।
23	2210.01.110.17 श्री दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय	3.00	4.10	प्रत्याशित बिल भुगतान के लिए प्राप्त नहीं किये गये थे।
24	2210.01.789.97 लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल (एस.सी.एस.पी.)	1.31	5.23	रिक्त पदों का न भरा जाना तथा प्रत्याशित बिल प्राप्त नहीं हुए थे।
कुल		113.36	186.15	
अनुदान सं. 8: समाज कल्याण				
25	2235.02.102.54.00.42 किशोर न्याय का कार्यान्वयन (बच्चों के मामले तथा सुरक्षा) अधिनियम 2000	0.50	1.34	कम निधि प्राधिकृत की गई।
26	2235.02.103.31.00.42 इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.) (सीएसएस)	2.00	2.39	योग्य लाभार्थियों की कम संख्या।

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1

27	2235.02.103.29.00.42 इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.) (सी.एम.बी.) (सीएसएस) (एस.सी.एस.पी.)	1.00	1.85	योग्य लाभार्थियों की कम संख्या।
28	2235.02.103.28.00.42 इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (सी.एम.बी.) स्टेट शेरर	1.00	2.25	योग्य लाभार्थियों की कम संख्या।
29	2235.02.200.89 सामाजिक विकास में भागीदारी नई पहल	4.07	13.72	निधि को कम उपयोग किए जाने के लिए सक्षम अधिकारी का अनुमोदन।
30	2236.02.101.78.00.42 किशोरावस्था लड़कियों के सशक्तीकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (एस.एन.पी.) (सी.एस.एस.)	2.17	7.02	कम राशि के लिए सक्षम अधिकारी का अनुमोदन।
31	2225.01.277.71.00.42 पब्लिक स्कूल की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	4.99	25.63	स्टाफ की कमी के कारण फार्मों की संवीक्षा में कम प्रगति।
32	2225.80.800.77.00.34 अ.जा./अ.ज.जा. (एससीएसपी) के लिए कॉलेज तथा यूनीवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति	0.54	2.96	कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।
कुल		16.27	57.16	
अनुदान सं. 10: विकास				
33	2403.00.101.97 अस्पताल तथा डिस्पेंसरियां	1.00	1.37	भुगतान के लिए एम.ए.सी.पी. मामलों को कार्यान्वित नहीं किया गया।
34	2415.03.120.99 एस.पी.सी.ए. को सहायता अनुदान	2.46	2.54	जब्त जानवरों के मालिकों से चारा प्रभारों की वसूली के कारण निधि का गैर उपयोग।
35	2075.00.800.89.00.42 पेट्रोल आपूर्ति स्कीम	2.80	2.85	भुगतान के लिए देय आवक दावों की प्राप्ति नहीं हुई थी।
36	2030.01.101.99.00.42 सेक्रेटरी रेवेन्यू स्टैम्प की लागत	0.97	1.22	सक्षम अधिकारी से अनुमोदन की गैर-प्राप्ति।
37	2053.00.093.95 जिला स्थापना: सेक्रेटरी रेवेन्यू	3.29	7.35	स्कैनिंग/अंकीकरण के कार्य को निष्पादित नहीं किया गया।
38	2245.02.101.90.99.42 अन्य मदें	2.00	2.04	वित्तीय वर्ष के अंत में निधि की बहुत बड़ी मात्रा प्राप्त हुई।
39	2501.04.105.96 एम.जी.आई.सी.सी. को सहायता अनुदान	0.40	1.65	7 ^{वां} के.वे.आ. बकार्यों का भुगतान नहीं हुआ तथा उपयोग किए गए अनुदान के प्रति अनुदान का समायोजन नहीं किए जाने के कारण बचत हुई।
कुल		12.92	19.02	
अनुदान सं. 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण				
40	2217.80.191.04.98 कैपेसिटी बिल्डिंग तथा ए एंड ओ ई के लिए प्.दि.न.नि. को सहायता अनुदान	0.89	1.00	भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।

41	2217.80.191.04.96 कैपेसिटी बिल्डिंग तथा ए एंड ओ ई के लिए उ.दि.न.नि. को सहायता अनुदान	0.89	1.00	भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।
42	2217.80.191.04.95 कैपेसिटी बिल्डिंग तथा ए एंड ओई के लिए श.वि.वि. को सहायता अनुदान)	1.99	2.90	भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।
43	2217.80.191.04.91 जन जागरूकता तथा आईईसी क्रियाकलापों (सीएसएस) के लिए शहरी विकास	0.99	2.98	भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।
44	2217.80.191.03.78 समुदाय शौचालय के निर्माण के लिए डीयूएसआईबी को सहायता अनुदान (स्टेट शेयर)	11.99	12.00	स्कीम को पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया गया।
कुल		16.75	19.88	
पूँजीगत दत्तमत				
अनुदान सं. 10: विकास				
45	4515.00.101.98.00.42 पंचायत इकाई का आधुनिकीकरण तथा इसके कार्य	2.00	3.57	परियोजना पूरी नहीं की गई।
कुल		2.00	3.57	
अनुदान सं. 8: समाज कल्याण				
46	5055.00.800.97.00.42 परिवहन के वैकल्पिक प्रकार इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली बसों की शुरुआत	0.50	11.73	कार्यकारिणी एजेंसी द्वारा प्रशासनिक विलम्ब।
कुल		0.50	11.73	
अनुदान सं. 9: उद्योग				
47	6851.00.101.98.00.55 औद्योगिक राज्यों के उन्नयन तथा सुधार के लिए डी.एस.आई.आई.डी.सी. को ऋण	19.99	20.00	प्रस्तावों का गैर-अन्तिमकरण।
कुल		19.99	20.00	
अनुदान सं. 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण				
48	4059.60.051.80.90.42 न्यायिक मामलों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएँ (सी.एस.एस.)	30.00	30.19	सी.एस.एस. कार्य, शेष निधि को आगामी वर्ष में उपयोग किया जा सकता है।
49	4235.02.102.99.00.53 किशोर न्यायालय अधिनियम 2000 का कार्यान्वयन	3.09	5.01	नई संस्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।
50	4810.00.102.95 स्टेट एनर्जी कन्जरवेशन	1.00	2.00	कार्य सौंपा जाना अभी भी लंबित।
कुल		34.09	37.20	
सकल कुल		278.89	475.39	

परिशिष्ट 2.5

वास्तविक प्रावधानों के 70 प्रतिशत तथा ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के मामले
(पैराग्राफ 2.3.8 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम तथा संख्या	मुख्यशीर्ष/उपशीर्ष	वास्तविक प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	मूल प्रावधानों की प्रतिशतता	अभ्यर्पण के लिए कारण
1	अनुदान सं. 5: गृह	4055.00.800.99 एफ.एस.एल.	19.08	13.50	70.75	प्रस्तावों का गैर-अन्तिमकरण
2	अनुदान सं. 6: शिक्षा	2202.01.800.44.00.42 एस.एस.ए.	70.00	60.10	85.86	कार्य की धीमी प्रगति
3		2202.02.105.95 एस.सी.ई.आर.टी. को सहायता अनुदान	102.00	76.50	75.00	कम अनुदान जारी किया जाना
4	अनुदान सं. 7: चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.01.104.99 लॉजिस्टिक आपूर्ति तथा चेन प्रबन्धन	20.00	19.95	99.75	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन
5		2210.01.110.14 डीडीयू सुपर स्पेशलिटी अस्पताल	52.00	52.00	100.00	कम अनुदान जारी किया जाना
6		2210.01.200.89.99 बीमा कंपनियों को भुगतान	55.00	54.95	99.91	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन
7		2210.01.200.88 पीपीपी द्वारा लैब सुविधाएँ	70.00	69.99	99.99	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन
8		4210.01.110.64.00.52 एम. एण्ड ई.	150.00	124.00	82.67	निविदा का गैर-अन्तिमकरण
9	अनुदान सं. 8: समाज कल्याण	2235.02.102.29.00.42 आई.सी.डी.एस. (सामान्य) स्टेट शेयर	20.00	14.13	70.65	कार्य की धीमी प्रगति
10	अनुदान सं. 10: विकास	2053.00.800.76 डी.यू.डी.ए. केन्द्रीय जिला को सहायता अनुदान	35.00	34.02	97.20	कम अनुदान जारी किया जाना
11		2053.00.800.75 डी.यू.डी.ए. नई दिल्ली जिला को सहायता अनुदान	30.00	29.16	97.20	कम अनुदान जारी किया जाना
12		2053.00.800.74 डी.यू.डी.ए. दक्षिण जिला को सहायता अनुदान	25.00	24.30	97.20	कम अनुदान जारी किया जाना
13		2053.00.800.73 डी.यू.डी.ए. दक्षिण पश्चिम जिला को सहायता अनुदान	35.00	34.02	97.20	कम अनुदान जारी किया जाना
14		2053.00.800.72 डी.यू.डी.ए. पूर्व जिला को सहायता अनुदान	30.00	29.16	97.20	कम अनुदान जारी किया जाना
15		2053.00.800.71 डी.यू.डी.ए. पश्चिम जिला को सहायता अनुदान	35.00	34.17	97.63	कम अनुदान जारी किया जाना
16		2053.00.800.70 डी.यू.डी.ए. उत्तर पूर्व जिला को सहायता अनुदान	25.00	24.50	98.00	कम अनुदान जारी किया जाना
17	2053.00.800.69 डी.यू.डी.ए. उत्तर पश्चिम जिला को सहायता अनुदान	35.00	34.30	98.00	कम अनुदान जारी किया जाना	

18		2053.00.800.68 डी.यू.डी.ए. उत्तर जिला को सहायता अनुदान	40.00	39.20	98.00	कम अनुदान जारी किया जाना
19		2053.00.800.67 डी.यू.डी.ए. शाहदरा जिला को सहायता अनुदान	25.00	24.50	98.00	कम अनुदान जारी किया जाना
20		2053.00.800.66 डी.यू.डी.ए. दक्षिण पूर्व जिला को सहायता अनुदान	35.00	34.30	98.00	कम अनुदान जारी किया जाना
21	अनुदान सं. 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण	2215.01.191.69 दि.ज.बो. को जन जल प्रबन्धन योजना के लिए सहायता अनुदान	15.00	11.25	75.00	कम अनुदान जारी किया जाना
22		2215.01.191.68 अवैध पुनर्गठित कॉलोनियों में जल आपूर्ति के लिए दि.ज.बो. को सहायता अनुदान	15.00	11.25	75.00	कम अनुदान जारी किया जाना
23		2215.02.191.89 जेएनएनयूआरएम परियोजना के अंतर्गत इन्टरसेप्टर सीवर के साथ-साथ मुख्य नाले के लिए दि.ज.बो. को सहायता अनुदान	200.00	189.00	94.50	कम अनुदान जारी किया जाना
24		2217.04.191.55 ए.एम.आर.यू.टी. के लिए दि.न.नि. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	200.00	145.00	72.50	भा.स. से निधि की गैर-प्राप्ति
25		2217.80.191.04.99 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के निर्माण के लिए पू.दि.न.नि. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	24.50	24.50	100.00	भा.स. से निधि की गैर-प्राप्ति
26		2217.80.191.04.88 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के निर्माण के लिए उ.दि.न.नि. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	36.90	36.90	100.00	भा.स. से निधि की गैर-प्राप्ति
27		2217.80.191.04.87 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के निर्माण के लिए द.दि.न.नि. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	25.50	25.50	100.00	भा.स. से निधि की गैर-प्राप्ति
28		2217.80.191.04.85 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के निर्माण के लिए डी.सी.बी. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	11.00	11.00	100.00	भा.स. से निधि की गैर-प्राप्ति
29		2217.80.191.04.80 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के लिए पू.दि.न.नि. को सहायता अनुदान	14.50	14.50	100.00	भा.स. से निधि की गैर-प्राप्ति
30		3054.04.800.86 शहरी सड़कों सी.आर.एफ. स्कीम के लिए उ.दि.न.नि. को सहायता अनुदान	12.00	12.00	100.00	कम अनुदान जारी किया जाना

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1

31	3054.04.800.85 शहरी सड़कों सी.आर.एफ. स्कीम के लिए द.दि.न.नि. को सहायता अनुदान	10.00	10.00	100.00	कम अनुदान जारी किया जाना
32	3054.04.800.83 जेएनएनयूआरएम के लिए उ.दि.न.नि. को सहायता अनुदान	25.00	25.00	100.00	कम अनुदान जारी किया जाना
33	3054.04.800.82 जेएनएनयूआरएम के लिए द.दि.न.नि. को सहायता अनुदान	20.00	15.00	75.00	कम अनुदान जारी किया जाना
34	3054.04.800.80 आर.ओ.बी./आर.यू.बी. के निर्माण के लिए उ.दि.न.नि. को सहायता अनुदान	28.00	28.00	100.00	कम अनुदान जारी किया जाना
35	2801.05.800.81 इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के लिए दिल्ली ट्रांस्को लिमि. को सहायता अनुदान	60.00	59.50	99.17	कम अनुदान जारी किया जाना
36	4055.00.212.90.00.42 डी.एफ.एस.एल.	25.00	24.00	96.00	कार्य की धीमी प्रगति
37	4210.04.101.89.00.53 पी.एच.सी. का निर्माण	100.00	79.00	79.00	कार्य की धीमी प्रगति
38	4235.02.104.97.00.42 सेवा कुटीर का निर्माण	20.00	20.00	100.00	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन
39	4250.00.203.96.00.53 आई.टी.आई. का निर्माण	65.00	55.00	84.62	कार्य की धीमी प्रगति
40	5054.04.800.84.00.53 लो.नि.वि. सड़कों की स्ट्रीट स्कैंपिंग	59.00	57.00	96.61	कार्य की धीमी प्रगति
41	5054.04.800.83.00.53 सड़कों का व्यापक रूप से रख-रखाव	100.00	100.00	100.00	कार्य की धीमी प्रगति
42	5054.04.800.82.00.53 एल.ई.डी. स्क्रीनों का प्रावधान	137.00	136.00	99.27	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन
43	5054.04.800.81.00.53 सी.सी.टी.पी. कैमरों का प्रतिष्ठापन	200.00	190.00	95.00	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन
44	5054.04.800.80.00.53 अंधेरी जगहों पर स्ट्रीट लाइटों का प्रतिष्ठापन	114.00	100.00	87.72	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन
	कुल	2,425.48	2,206.15		

परिशिष्ट 2.6

₹ एक करोड़ और अधिक की बचतें जिसका अभ्यर्पण नहीं हुआ, का विवरण
(पैराग्राफ 2.3.9 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग की सं. तथा नाम	बचत		अभ्यर्पण	बचतें जिनका अभ्यर्पण किया जाना था
1	अनुदान सं. 2 : सामान्य प्रशासन	दत्तमत्त	171.38	48.28	123.10
		प्रभारित	5.11	0.00	5.11
2	अनुदान सं. 3 : न्याय का प्रशासन	दत्तमत्त	174.32	27.69	146.63
		प्रभारित	87.30	86.08	1.22
3	अनुदान सं. 4 : वित्त	दत्तमत्त	301.45	76.77	224.68
4	अनुदान सं. 5: गृह	दत्तमत्त	76.38	39.81	36.57
5	अनुदान सं. 6: शिक्षा	दत्तमत्त	1,804.47	992.59	811.88
6	अनुदान सं. 7 : चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	दत्तमत्त	958.54	570.97	387.57
7	अनुदान सं. 8 : समाज कल्याण	दत्तमत्त	561.88	53.04	508.84
8	अनुदान सं. 9 : उद्योग	दत्तमत्त	120.30	87.66	32.64
9	अनुदान सं. 10 : विकास	दत्तमत्त	1,244.04	863.77	380.27
10	अनुदान सं. 11 : शहरी विकास तथा लोक निर्माण	दत्तमत्त	3,330.25	2,413.01	917.24
	कुल		8,835.42	5,259.67	3,575.75

परिशिष्ट 2.7

वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर व्यय का द्रुतप्रवाह
(पैराग्राफ 2.3.10 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखों के शीर्ष	बजट	कुल व्यय	2016-17 की अन्तिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय		मार्च 2017 में किया गया व्यय	
				राशि	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता
अनुदान सं. 2 : सामान्य प्रशासन							
1	205500113940031- सहायता-अनुदान-सामान्य	12.00	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00
2	205500113940035- पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	12.00	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00
अनुदान सं. 4 : वित्त							
3	761500200760055- स्वायत्त/स्थानीय निकायों को अर्थोपाय ऋण	700.00	531.00	531.00	100.00	331.00	62.34
अनुदान सं. 6 : शिक्षा							
4	220202800690050- अन्य प्रभार	47.00	29.33	18.83	64.22	16.24	55.36
5	220400103780005- श्रेष्ठ खिलाड़ियों/स्पोर्ट्स मैन तथा राजीव गांधी स्पोर्ट्स एवार्ड को नकद प्रोत्साहन	18.00	17.61	10.53	59.81	10.53	59.81
6	420201600940042- स्कूल बिल्डिंग के कार्य की आउटसोर्सिंग	280.00	201.95	136.86	67.77	136.23	67.46
अनुदान सं. 7 : चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य							
7	620202105940055- इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी), दिल्ली को ऋण	100.00	100.00	70.00	70.00	70.00	70.00
8	221001110330031- सहायता अनुदान-सामान्य	25.00	17.25	12.50	72.46	12.48	72.32
9	221001110330036- सहायता अनुदान-वेतन	35.00	25.25	17.50	69.31	17.50	69.31
10	221001800520035- पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	24.05	24.05	20.45	85.03	20.45	85.03
11	221001800840036- सहायता अनुदान-वेतन	25.00	25.00	15.00	60.00	15.00	60.00
12	221006800820035- पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	70.00	70.00	52.50	75.00	52.50	75.00
13	221100800950036- सहायता अनुदान-वेतन	39.00	39.00	24.00	61.54	24.00	61.54
अनुदान सं. 8 : समाज कल्याण							
14	222501277600042- स्कूलों में अनुसूचित जाति के छात्रों को किताबों तथा स्टेशनरी की निःशुल्क आपूर्ति	70.00	25.62	25.06	97.81	25.06	97.81
15	222501277730034- अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./तथा अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति/मेरिट छात्रवृत्ति- कक्षा I से XII तक	68.00	20.62	20.62	100.00	20.62	100.00

16	222501789930034- अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. तथा अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति/मेरिट छात्रवृत्ति- कक्षा I से XII तक (एस.सी.एस.पी.)	47.00	12.64	12.32	97.50	12.32	97.50
17	222501789950042- स्कूलों में अनुसूचित जाति के छात्रों को किताबों तथा स्टेशनरी की निःशुल्क आपूर्ति (एस.सी.एस.पी.)	58.00	17.18	16.98	98.86	16.98	98.86
18	223602101900042- अनुपूरक पोषण कार्यक्रम	65.00	58.72	45.18	76.95	32.42	55.21
19	305500190990033- रियायती पास के लिए दि.प.नि. को आर्थिक सहायता	92.00	92.00	92.00	100.00	92.00	100.00
20	423502103980053- नौकरीपेशा महिलाओं के हॉस्टल का निर्माण	14.70	12.93	12.53	96.89	12.53	96.89
21	505500050880042- नए बस टर्मिनल के लिए भूमि का क्रय	60.49	54.64	37.08	67.86	33.26	60.89
22	705500190940055- केन्द्रीय करों के पुनर्भुगतान के लिए एम.आर.टी.एस. को ऋण	671.00	671.00	671.00	100.00	571.00	85.10
अनुदान सं. 10 : विकास							
23	240400800960031- सहायता अनुदान-सामान्य	25.00	19.95	17.20	86.21	14.45	72.43
अनुदान सं. 11 : शहरी विकास एवं लोक निर्माण							
24	221502191880035- पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	200.00	200.00	107.50	53.75	107.50	53.75
25	221704191550035- पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	55.00	53.15	53.15	100.00	53.15	100.00
26	221704191719731- सहायता अनुदान- सामान्य	14.00	14.00	12.65	90.36	12.65	90.36
27	221704191719935- पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	14.75	14.75	14.75	100.00	14.75	100.00
28	221780191539835- पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	23.00	23.00	22.26	96.77	22.26	96.77
29	221780191539935- पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	18.00	18.00	17.88	99.32	17.88	99.32
30	505404800890042- सी.आर.एफ. स्कीम	46.00	15.00	14.00	93.33	14.00	93.33
31	621502191860055- जे.एन.एन.यू.आर.एम. परियोजना के लिए दि.ज.बो. को ऋण	24.00	24.00	24.00	100.00	24.00	100.00
32	680100203910055- प्रगति पावर परियोजना- III, बवाना को ऋण	69.98	69.98	69.98	100.00	69.98	100.00
कुल		3,022.97	2,521.62	2,219.31		1,896.74	

परिशिष्ट 2.8
पूँजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण
(पैराग्राफ: 2.3.11 (ख) को देखें)

(₹ हजार में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	अनुदान सं.	स्कीम का नाम	अधिक राशि
1	4202.01.600.95.00.42	6	स्कूल बिल्डिंग का निर्माण (उप शीर्ष)	4,00,000
2	4202.01.600.94.00.42	6	स्कूल बिल्डिंग के कार्य की आउटसोर्सिंग (उप शीर्ष)	58,00,000
3	4202.04.800.90.00.42	6	स्मारकों का संरक्षण (उ.शी.)	51,000
4	4202.04.800.89.00.42	6	म्यूजियम तथा आर्ट-गैलरी (उ.शी.)	5,000
5	4202.01.203.96.00.42	6	इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की बिल्डिंग का विध्वंस तथा भूमि का आवंटन (उ.शी.)	50,000
6	4235.02.104.98.00.42	8	वृद्धावस्था गृह (उ.शी.)	20,000
7	4235.02.800.94.00.27	8	विद्यमान बिल्डिंग में अतिरिक्त सुविधाओं के प्रावधान (एस.डब्ल्यू.डी.) (उ.शी.)	20,000
8	4235.02.800.93.00.27	8	वर्तमान बिल्डिंग में अतिरिक्त सुविधायों के प्रावधान (डब्ल्यू.सी.डी.) (उ.शी.)	15,000
9	4225.01.789.98.00.42	8	अ.जा. बस्तियों का सुधार (एस.सी.एस.पी.) (उ.शी.)	5,00,000
10	4403.00.101.90.00.42	10	अस्पतालों/डिस्पेंसरियों में संक्रामक रोगों का नियंत्रण तथा पशु-चिकित्सा सेवाएँ (उ.शी.)	30,000
11	4515.00.103.93.00.42	10	आई.डी.आर.वी. के अधीन कार्यान्वित किए जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए ग्रामीण विकास बोर्ड (उ.शी.)	13,85,800
12	4515.00.789.97.00.42	10	आई.डी.आर.वी. के अधीन कार्यान्वित किए जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए ग्रामीण विकास बोर्ड (एस.सी.एस.पी.) (उ.शी.)	3,04,200
13	4515.00.101.98.00.42	10	पंचायत इकाईयों तथा उनके कार्यों का आधुनिकीकरण (उ.शी.)	1,00,000
14	4406.02.110.98.00.42	10	वन्य जीवन अभयारण्य वन्य जीवन सेक्शन का विकास (उ.शी.)	1,10,000
15	4406.02.112.99.00.42	10	चकबंदी को शामिल करते हुए वनों का विकास (उ.शी.)	80,000
16	5425.00.208.84.00.42	10	उद्यान कृषि/पुष्पकृषि	10,000
17	5425.00.208.88.00.42	10	एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन (उ.शी.)	5,000
18	4217.60.050.99.00.42	11	सामाजिक सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण (उ.शी.)	5,000
19	4217.60.050.98.00.42	11	वेन विलेज का विकास (उ.शी.)	100,000
20	4217.60.050.95.00.42	11	आप्राधिकृत कॉलोनियों का विकास (उ.शी.)	37,95,000
21	4055.00.212.90.00.42	11	दिल्ली फॉरेन्सिक साईंस लैबोरेटरी (उ.शी.)	2,50,000
22	4059.60.051.80.90.42	11	न्यायिक मामलों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएँ (सीएसएस)	2,00,000
23	4070.00.800.89.00.42	11	सैन्ट्रल जेल बिल्डिंग (उ.शी.)	4,00,000
24	4202.01.203.97.00.42	11	दिल्ली सरकार प्रायोजित कॉलेज बिल्डिंग का निर्माण (उ.शी.)	12,10,000
25	4202.01.800.97.00.42	11	शिक्षा विभाग की विद्यमान बिल्डिंग में अतिरिक्त सुविधाएँ/नवीनीकरण निर्माण कार्य (उ.शी.)	70,000
26	4202.01.105.88.00.42	11	जी.बी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज (उ.शी.)	15,000
27	4202.01.105.87.00.42	11	गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जफरपुर (उ.शी.)	10,000
28	4202.01.105.85.00.42	11	इंजीनियरिंग कॉलेज तथा गीता कॉलोनी (उ.शी.)	20,000
29	4202.03.800.89.00.42	11	खेल के मैदान, खेल परिसरों तथा स्वीमिंग पूल इत्यादि का विकास (उ.शी.)	90,000

30	4202.03.800.80.00.42	11	दिल्ली स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स (उ.शी.)	2,000
31	4202.04.101.99.00.42	11	कॉलेज ऑफ आर्ट (उ.शी.)	30,000
32	4202.04.104.96.00.42	11	पुरालेख विभाग (उ.शी.)	5,000
33	4210.01.110.99.88.42	11	राज्य औषधि प्राधिकरण तथा क्रय एजेंसी	4,000
34	4210.01.110.99.81.42	11	आर.जी.एस.एस.एच. ताहिर पुर (उ.शी.)	50,000
35	4210.01.110.99.78.42	11	आई.एस.एम. होम्योपैथी निदेशालय	17,000
36	4210.01.110.99.75.42	11	ए.एस. जैन आई अस्पताल, लॉरेस रोड	5,000
37	4210.01.110.99.69.42	11	डी.एच.ए.एस. कडकडूमा	46,000
38	4210.01.110.99.68.42	11	एस.आर.एच.एच. नरेला	25,000
39	4210.01.110.99.67.42	11	डी.डी.यू. सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जनकपुरी	30,000
40	4210.01.110.99.66.42	11	श्री दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय	20,000
41	4210.01.110.99.65.42	11	डा. बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल	1,00,000
42	4210.01.110.99.64.42	11	जी.बी. पन्त अस्पताल	90,000
43	4210.01.110.99.63.42	11	लोकनायक अस्पताल	2,00,000
44	4210.01.110.99.62.42	11	गुरुनानक आई अस्पताल	30,000
45	4210.01.110.99.61.42	11	जी.टी.बी. मेडिकल कॉलेज एण्ड अस्पताल	2,00,000
46	4210.01.110.99.60.42	11	डी.डी.यू.एच.	80,000
47	4210.01.110.99.59.42	11	एस.बी.बी.पी.एच.	10,000
48	4210.01.110.99.58.42	11	मालवीय नगर कॉलोनी अस्पताल	20,000
49	4210.01.110.99.57.42	11	आचार्य भिक्षु अस्पताल	15,000
50	4210.01.110.99.56.42	11	महर्षि वाल्मिकी अस्पताल	1,20,000
51	4210.01.110.99.55.42	11	शास्त्री पार्क कॉलोनी अस्पताल	30,000
52	4210.01.110.99.54.42	11	भगवानमहावीर अस्पताल	50,000
53	4210.01.110.99.53.42	11	राव तुलाराम अस्पताल	60,000
54	4210.01.110.99.52.42	11	डा.एन.सी. जोशी मेमोरियल अस्पताल	10,000
55	4210.01.110.99.50.42	11	हैल्थ कम मेटरनिटी सेन्टर कान्ति नगर	10,000
56	4210.01.110.99.49.42	11	अरुणा आसफ अली अस्पताल	4,000
57	4210.01.789.99.00.42	11	एस.जी.एम.एच. (एस.सी.एस.पी.) (उ.शी.)	1,00,000
58	4210.01.789.98.00.42	11	एल.बी.एस.एच. (एस.सी.एस.पी.) (उ.शी.)	40,000
59	4210.01.789.97.00.42	11	बी.जे.जे.एच. (एस.सी.एस.पी.) (उ.शी.)	30,000
60	4210.01.789.95.00.42	11	जी.जी.एस.एच. (एस.सी.एस.पी.) (उ.शी.)	1,00,000
61	4210.03.101.99.99.42	11	आयुर्वेदिक, यूनानी एवं तिबिया कॉलेज का नवीनीकरण	25,000
62	4210.03.101.99.98.42	11	आई.एस.एम. का विकास सुदृढीकरण	5,000
63	4210.03.102.98.00.42	11	होम्योपैथी की विकास स्वास्थ्य देखभाल सेवार्यें (उ.शी.)	10,000
64	4235.02.101.87.00.42	11	मानसिक रूप से विकलांगों के लिए गृह का विकास (उ.शी.)	1,00,000
65	4235.02.104.97.00.42	11	सेवा कुटीर का निर्माण (उ.शी.)	2,00,000
66	4235.02.800.90.00.42	11	विद्यमान बिल्डिंगों में प्रावधान तथा अतिरिक्त सुविधायें (पी.डब्ल्यू.डी.) (उ.शी.)	1,00,000
67	5054.04.800.99.00.42	11	सड़क तथा पुलों का निर्माण (उ.शी.)	1,03,10,000
68	5054.04.800.90.00.42	11	यमुनापार क्षेत्र में सड़क तथा पुलों का निर्माण (उ.शी.)	10,000
69	5054.04.800.89.00.42	11	सी.आर.एफ. स्कीम (उ.शी.)	10,000
70	4801.05.190.91.00.32	11	झज्जर हरियाणा में जे.वी.सी. पावर प्लान्ट को इक्विटी अंशदान (उ.शी.)	50,000
71	4801.05.190.84.00.32	11	एकीकृत पावर विकास स्कीम के लिए इक्विटी (उ.शी.)	2,00,000
72	4801.05.800.91.00.42	11	भूमि का क्रय (उ.शी.)	4,80,000
73	4801.05.800.88.00.42	11	मैरा-11 महान कोल ब्लॉक का विकास (उ.शी.)	10,000
74	4810.00.102.96.00.42	11	रिन्यूबल एनर्जी (उ.शी.)	50,000
			कुल	2,81,44,000

परिशिष्ट 2.9

विस्तृत शीर्ष 99 में व्यय का गलत वर्गीकरण जोकि सूचना प्रौद्योगिकी के लिए आरक्षित था
(पैराग्राफ 2.3.11 (ग) को देखें)

(₹ हजार में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	अनुदान सं.	स्कीम का नाम	अधिक धनराशि
1	2202.01.107.85.99.31	6	सहायता अनुदान- सामान्य	30,000
2	2202.01.107.85.99.36	6	सहायता अनुदान- वेतन	1,70,000
3	2202.04.800.37.99.50	6	अन्य प्रभार	40,000
4	2230.03.101.94.99.42	6	बर्ड बैंक शेयर	18,500
5	2205.00.101.99.99.01	6	वेतन	1,23,000
6	2205.00.101.99.99.03	6	ओ.टी.ए.	10
7	2205.00.101.99.99.06	6	चिकित्सा इलाज	1,700
8	2205.00.101.99.99.11	6	घरेलू यात्रा व्यय	500
9	2205.00.101.99.99.13	6	कार्यालय व्यय	11,390
10	2205.00.101.99.99.21	6	आपूर्ति तथा मर्दे	1,200
11	2205.00.101.99.99.28	6	व्यवसायिक सेवार्ये	100
12	2205.00.101.99.99.34	6	छात्रवृत्ति तथा वजीफा	500
13	2205.00.101.99.99.50	6	अन्य प्रभार	2,300
14	2205.00.789.99.99.42	6	अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों का अकादमी विकास (एस.सी.एस.पी.) (उ.शी.)	200
15	2203.00.112.65.99.01	6	वेतन	78,480
16	2203.00.112.65.99.06	6	चिकित्सा इलाज	1,000
17	2203.00.112.65.99.11	6	घरेलू यात्रा व्यय	120
18	2203.00.112.65.99.13	6	कार्यालय व्यय	18,000
19	2203.00.112.65.99.21	6	आपूर्ति तथा सामग्री	700
20	2203.00.112.65.99.28	6	व्यवसायिक सेवार्ये	4,000
21	2203.00.112.65.99.34	6	छात्रवृत्ति तथा वजीफा	3,000
22	2203.00.112.65.99.50	6	अन्य प्रभार	10,000
23	2202.03.800.87.99.42	6	उच्च शिक्षा निदेशालय	25,000
24	2210.01.200.89.99.50	7	अन्य प्रभार	5,50,000
25	2210.06.101.50.99.31	7	मलेरिया के लिए सहायता अनुदान- सामान्य (दि.न.नि.)	1,59,700
26	2210.06.101.50.99.35	7	मलेरिया के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान	42,500
27	2210.06.101.50.99.36	7	मलेरिया के लिए सहायता अनुदान- वेतन (दि.न.नि.)	1,908,00
28	2210.05.105.99.99.01	7	मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज-वेतन	17,77,450
29	2210.05.105.99.99.03	7	ओ.टी.ए.	200
30	2210.05.105.99.99.06	7	चिकित्सा इलाज	10,300
31	2210.05.105.99.99.11	7	घरेलू यात्रा व्यय	3,300
32	2210.05.105.99.99.12	7	विदेशी यात्रा व्यय	500
33	2210.05.105.99.99.13	7	कार्यालय व्यय	1,80,900
34	2210.05.105.99.99.14	7	किराये, दर तथा कर	250

35	2210.05.105.99.99.21	7	आपूर्ति तथा सामग्री	17,500
36	2210.05.105.99.99.34	7	छात्रवृत्ति तथा वजीफा	1,500
37	2210.05.105.99.99.50	7	अन्य प्रभार	2,100
38	2210.02.102.60.99.01	7	होम्योपैथिक डिस्पेंसरी/यूनिट्स (उ.शौ.)- वेतन	1,07,740
39	2210.02.102.60.99.03	7	ओ.टी.ए.	10
40	2210.02.102.60.99.06	7	चिकित्सा इलाज	1,640
41	2210.02.102.60.99.11	7	घरेलू यात्रा व्यय	110
42	2210.02.102.60.99.13	7	कार्यालय व्यय	7,450
43	2210.02.102.60.99.16	7	प्रकाशन	200
44	2210.02.102.60.99.21	7	आपूर्ति तथा सामग्री	650
45	2210.02.102.60.99.26	7	विज्ञापन तथा प्रसारण	600
46	2210.02.102.60.99.50	7	अन्य प्रभार	2,000
47	2041.00.800.73.99.42	8	उत्तरी दिल्ली नगर निगम	4,08,700
48	2403.00.101.91.99.42	10	फुट एण्ड माउण्ट डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम (सीएसएम)	1,000
49	2053.00.094.98.99.28	10	व्यवसायिक सेवार्ये	500
50	2070.00.800.64.99.01	10	वेतन	23,800
51	2070.00.800.64.99.03	10	ओ.टी.ए.	60
52	2070.00.800.64.99.06	10	चिकित्सा इलाज	1,300
53	2070.00.800.64.99.11	10	घरेलू यात्रा व्यय	40
54	2070.00.800.64.99.13	10	कार्यालय व्यय	9,000
55	2070.00.800.64.99.26	10	विज्ञापन तथा प्रसारण	1,000
56	2070.00.800.64.99.28	10	व्यवसायिक सेवार्ये	500
57	2070.00.800.64.99.50	10	अन्य प्रभार	45,000
58	2015.00.106.97.99.42	10	चुनाव पर व्यय	10,000
59	2245.02.101.94.99.42	10	दक्षिण जोन- अन्य मदें	1,500
60	2015.00.106.88.99.42	10	दक्षिण पश्चिम- चुनाव पर व्यय	20,000
61	2245.02.101.93.99.42	10	दक्षिण पश्चिम जोन- अन्य मदें	2,000
62	2015.00.106.98.99.42	10	पूर्वी जिले- चुनाव पर व्यय	5,000
63	2245.02.101.88.99.42	10	पूर्वी जोन- अन्य मदें	10,000
64	2245.02.101.92.99.42	10	दक्षिण जोन- अन्य मदें	5,000
65	2015.00.800.93.99.01	10	उत्तरी पूर्वी जोन- विधायिका कार्यकाल- वेतन	4,000
66	2015.00.800.93.99.06	10	चिकित्सा इलाज	70
67	2245.02.101.91.99.42	10	उत्तरी पूर्वी जोन- अन्य मदें	4,000
68	2015.00.106.95.99.42	10	उत्तरी पश्चिमी जिला- चुनाव पर व्यय	15,000
69	2245.02.101.90.99.42	10	उत्तरी पश्चिमी जोन- अन्य मदें	7,000
70	2245.02.101.89.99.42	10	उत्तरी जोन- अन्य मदें	5,000
71	2245.02.101.49.99.42	10	शाहदरा जोन- अन्य मदें	12,000
72	2245.02.101.48.99.42	10	दक्षिण पूर्वी जोन- अन्य मदें	6,500
73	2401.00.119.99.99.01	10	इंसेंटिव वेजीटेबल क्रेश प्रोग्राम- वेतन	27,000
74	2401.00.119.99.99.03	10	ओ.टी.ए.	30
75	2401.00.119.99.99.06	10	चिकित्सा इलाज	1,500
76	2401.00.119.99.99.11	10	घरेलू यात्रा व्यय	15
77	2401.00.119.99.99.13	10	कार्यालय व्यय	30

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1

78	2202.01.103.98.99.31	11	नई दिल्ली नगर परिषद - सहायता अनुदान- सामान्य	71,080
79	2202.01.103.98.99.36	11	नई दिल्ली नगर परिषद- सहायता अनुदान- वेतन	2,84,320
80	2202.01.103.97.99.31	11	दिल्ली छावनी बोर्ड- सहायता अनुदान- सामान्य	48,400
81	2202.02.191.98.99.31	11	माध्यमिक शिक्षा के लिए न.दि.न.प.- सहायता अनुदान-सामान्य	88,506
82	2202.02.191.98.99.36	11	माध्यमिक शिक्षा के लिए न.दि.न.प.- सहायता अनुदान-वेतन	3,53,994
83	2217.04.191.98.99.31	11	नई दिल्ली नगर निगम को अनुदान सहायता अनुदान- सामान्य	44,060
84	2217.04.191.98.99.36	11	नई दिल्ली नगर निगम को अनुदान सहायता अनुदान- वेतन	3,96,540
85	2217.04.191.71.99.36	11	जे.जे.आर. कॉलोनी में अतिरिक्त सुविधाओं के प्रावधान के लिए न.दि.न.नि. को अनुदान- सहायता अनुदान- वेतन	10,000
86	2217.04.789.97.99.36	11	जे.जे.आर. कॉलोनी में अतिरिक्त सुविधाओं के प्रावधान के लिए न.दि.न.नि. को अनुदान (एस.सी.एस.पी.)- सहायता अनुदान- वेतन	10,000
87	2217.80.191.53.99.35	11	पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए समुदाय केन्द्र के निर्माण के लिए न.दि.न.नि. को अनुदान	4,900
88	2217.80.191.44.99.35	11	पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	1,00,000
89	2217.80.191.31.99.31	11	सहायता अनुदान- सामान्य	5,000
90	2217.80.191.22.99.31	11	सहायता अनुदान- सामान्य	15,00,000
91	2217.80.191.22.99.35	11	पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	4,50,000
92	2217.80.191.22.99.36	11	सहायता अनुदान- वेतन	1,90,000
93	2217.80.191.19.99.35	11	पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	4,00,000
94	2217.80.191.04.99.35	11	पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान-न.दि.न.नि. अपशिष्ट प्रबंधन	2,45,000
95	2217.80.789.97.99.35	11	पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	100
96	3604.00.200.85.99.50	11	न.दि.न.नि.	34,15,657
97	6217.60.191.96.99.55	11	नियमित किए गए अप्राधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए न.दि.न.नि. को ऋण	20,000
98	6217.60.191.91.99.55	11	अनुमोदित कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए न.दि.न.नि. को ऋण	1,50,000
99	6217.60.789.98.99.55	11	नियमित किए गए अप्राधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए न.दि.न.नि. को ऋण (एस.सी.एस.पी.)	10,000
100	3054.04.800.94.99.27	11	जिला मार्ग - रख-रखाव	50,04,200
101	4210.03.101.99.99.42	11	आयुर्वेदिक तथा तिबिया कॉलेज का नवीकरण	25,000
			कुल	1,70,50,402

परिशिष्ट 2.10
अवास्तविक बजटिंग के कारण संपूर्ण प्रावधानों की बचत
(पैराग्राफ 2.5 (v) को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष	मूल+अनुपूरक+ पुनर्विनियोजन	व्यय	बचत
1	2401 बी 1(2)(1) (प्रभारित)	0.01	शून्य	0.01
2	2401 बी 1(10)(2)	0.10	शून्य	0.10
3	2402 बी 2(1)(2)	0.03	शून्य	0.03
4	2402 बी 2(2)(1)	0.01	शून्य	0.01
5	2403 बी 3(2)(6)(1)	0.05	शून्य	0.05
6	2403 बी 3(2)(7)(1)	0.05	शून्य	0.05
7	2403 बी 3(2)(10)	0.05	शून्य	0.05
8	2403 बी 3(4)(1)	0.01	शून्य	0.01
9	2711 डी 3 (2)(2)(1)	0.41	शून्य	0.41
10	2711 डी 3 (2)(2)(2)	0.01	शून्य	0.01
11	2053 ई 3(1)(1) (प्रभारित)	0.02	शून्य	0.02
12	2235 ई 6 (1)(3)(1)(1)	0.06	शून्य	0.06
13	2245 ई 7 (2)(1)(2)	0.50	शून्य	0.50
14	2245 ई 7 (2)(1)(3)	1.00	शून्य	1.00
15	2070 ई 15 (1)(1)(1) (प्रभारित)	0.02	शून्य	0.02
16	2070 ई 15 (1)(1)(2)	0.50	शून्य	0.50
17	2406 एफ 2 (1)(2)(1)(1) (प्रभारित)	0.01	शून्य	0.01
18	2406 एफ 2 (2)(1)(4)	0.02	शून्य	0.02
19	2406 एफ 2 (2)(1)(5)	0.05	शून्य	0.05
20	2053 जी 2 (3)(1)(2)	0.30	शून्य	0.30
21	2053 एच 3 (3)(1)(1)	0.60	शून्य	0.60
22	2053 के 3 (3)(1)(1)	0.40	शून्य	0.40
23	2053 एम 3 (3)(1)(2)	5.00	शून्य	5.00
24	2053 ओ 3 (3) (1)(1)	0.40	शून्य	0.40
25	2053 पी 3 (3)(1)(1)	0.30	शून्य	0.30
26	2053 पी 3 (3)(1)(2)	5.00	शून्य	5.00
27	3435 आर 1 (2)(1)(3)	0.10	शून्य	0.10
28	3435 आर 1 (2)(2)(1)	0.01	शून्य	0.01
29	3435 आर 1 (3)(1)(4)	0.20	शून्य	0.20
30	3435 आर 1 (3)(2)(1)	0.04	शून्य	0.04
31	2810 आर 4 (1)(1)(2)	4.50	शून्य	4.50
32	2401 आर 6 (1)(1)	0.10	शून्य	0.10
33	2401 आर 6 (2)(2)	2.00	शून्य	2.00
पूँजीगत				
34	4402 बीबी 1 (1)(1)	0.50	शून्य	0.50
35	4711 डीडी 2 (2)(1)(2) (प्रभारित)	0.16	शून्य	0.16
36	5425 आरआर 1 (1) (2)	0.50	शून्य	0.50
37	2401.00.103.89 (प्रभारित)	0.01	शून्य	0.01
38	2401.00.800.89.00.42	0.02	शून्य	0.02
39	2402 .00.102.69.00.42	0.01	शून्य	0.01

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1

40	2402.00.789.99.00.42	0.01	शून्य	0.01
41	2403.00.101.85.00.42	0.01	शून्य	0.01
42	2403.00.101.69	0.05	शून्य	0.05
43	2403 .00.101.62.00.42	0.05	शून्य	0.05
44	2403 .00.101.61.00.42	0.50	शून्य	0.50
45	2403.00.113.96.00.42	0.50	शून्य	0.50
46	2403.00.800.60	0.10	शून्य	0.10
47	2405.00.01	0.04	शून्य	0.04
48	2030.01.101.99.00.42	0.10	शून्य	0.10
49	2053.00.093.95 (प्रभारित)	0.06	शून्य	0.06
50	2053.00.800.92.98.42	0.01	शून्य	0.01
51	2053.00.800.92.94.31	3.00	शून्य	3.00
52	2070.00.800.64.99 (प्रभारित)	0.02	शून्य	0.02
53	2235.01.202.98.98.42	0.01	शून्य	0.01
54	2235.60.200.63.00.42	0.50	शून्य	0.50
55	2245.02.101.97.99.42 (प्रभारित)	0.10	शून्य	0.10
56	2245.80.102.95.00.42	0.50	शून्य	0.50
57	2515.00.001.00.42	0.12	शून्य	0.12
58	2406.01.102.99.98 (प्रभारित)	0.01	शून्य	0.01
59	2015.00.105.89.99.42	0.25	शून्य	0.25
60	2053.00.800.87	0.30	शून्य	0.30
61	2245.02.101.96.99.42	0.50	शून्य	0.50
62	2053.00.800.86	0.30	शून्य	0.30
63	2053.00.800.85	0.30	शून्य	0.30
64	2053.00.800.84	0.30	शून्य	0.30
65	2053.00.800.83	0.30	शून्य	0.30
66	2235.01.200.89 (प्रभारित)	0.10	शून्य	0.10
67	2053.00.800.81	0.30	शून्य	0.30
68	2053.00.800.80	0.30	शून्य	0.30
69	2053.00.800.79	0.30	शून्य	0.30
70	2015.00.103.88.00.42	0.50	शून्य	0.50
71	2053.00.800.77	0.30	शून्य	0.30
72	2401.00.001.93	0.10	शून्य	0.10
73	2401.00.119.75.00.42	0.50	शून्य	0.50
74	3435.03.103.84.00.42	0.20	शून्य	0.20
75	3435.03.789.99.00.42	0.02	शून्य	0.02
76	3435.60.800.86.00.42	0.10	शून्य	0.10
पूँजीगत				
77	4702.00.800.99.00.42	0.05	शून्य	0.05
78	4711.01.052.99.00.42	0.03	शून्य	0.03
79	4711.03.052.99.00.42	0.02	शून्य	0.02
80	4059.80.800.96	23.00	शून्य	23.00
81	4059.80.800.95	23.00	शून्य	23.00
82	4059.80.800.94	23.00	शून्य	23.00
83	4059.80.800.93	23.50	शून्य	23.50
84	4059.80.800.92	23.00	शून्य	23.00
85	4059.80.800.91	23.50	शून्य	23.50
86	4059.80.800.90	23.50	शून्य	23.50

87	4059.80.800.89	23.50	शून्य	23.50
88	4059.80.800.88	23.50	शून्य	23.50
89	4059.80.800.87	20.00	शून्य	20.00
90	4059.80.800.86	20.00	शून्य	20.00
91	5425.00.208.88.00.42	0.30	शून्य	0.30
92	2401.00.103.89	0.02	शून्य	0.02
93	2401.00.111.68.00.42	0.40	शून्य	0.40
94	2401.00.789.99.00.42	0.05	शून्य	0.05
95	2402.00.102.69.00.42	0.02	शून्य	0.02
96	2403.00.101.69.99.42	0.10	शून्य	0.10
97	2403.00.101.64.00.42	0.30	शून्य	0.30
98	2403.00.101.62.00.42	0.15	शून्य	0.15
99	2403.00.101.61.00.42	0.20	शून्य	0.20
100	2403.00.101.60.00.50	0.21	शून्य	0.21
101	2403.00.113.96.00.42	0.20	शून्य	0.20
102	2403.00.789.97	0.05	शून्य	0.05
103	2403.00.800.60	0.10	शून्य	0.10
104	2405.00.001.	0.04	शून्य	0.04
105	2405.00.101.87	0.50	शून्य	0.50
106	2030.02.101.99.00.42	3.00	शून्य	3.00
107	2053.00.093.95 (प्रभारित)	0.06	शून्य	0.06
108	2053.00.800.92.94.31	2.00	शून्य	2.00
109	2070.00.800.61	200.00	शून्य	200.00
110	2070.00.800.64.98.	0.50	शून्य	0.50
111	2225.03.277.78.00.34	0.02	शून्य	0.02
112	2225.03.277.77.00.34	0.06	शून्य	0.06
113	2225.03.277.76.00.34	0.07	शून्य	0.07
114	2235.01.200.94 (प्रभारित)	0.02	शून्य	0.02
115	2235.02.200.80.00.42	10.00	शून्य	10.00
116	2235.60.200.63.00.42	0.50	शून्य	0.50
117	2235.60.200.61	2.00	शून्य	2.00
118	2245.02.101.97.99.42 (प्रभारित)	0.10	शून्य	0.10
119	2245.80.102.92	4.00	शून्य	4.00
120	2515.00.001.00.42	0.06	शून्य	0.06
121	2406.01.102.99.98 (प्रभारित)	0.01	शून्य	0.01
122	2406.02.800.87.00.42	3.10	शून्य	3.10
123	2053.00.800.76.	35.00	शून्य	35.00
124	2053.00.800.75	30.00	शून्य	30.00
125	2245.02.101.95.00.42	0.40	शून्य	0.40
126	2053.00.800.74	25.00	शून्य	25.00
127	2053.00.800.73	35.00	शून्य	35.00
128	2235.01.200.89 (प्रभारित)	0.10	शून्य	0.10
129	2030.03.001.96	0.05	शून्य	0.05
130	2053.00.800.71	35.00	शून्य	35.00
131	2053.00.800.70	25.00	शून्य	25.00
132	2029.00.104.92	0.08	शून्य	0.08
133	2053.00.800.69	35.00	शून्य	35.00

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1

134	2053.00.800.68	40.00	शून्य	40.00
135	2053.00.800.67	25.00	शून्य	25.00
136	2053.00.800.66	35.00	शून्य	35.00
137	2401.00.001.93	0.12	शून्य	0.12
138	2401.00.119.74.00.42	0.31	शून्य	0.31
139	2401.00.119.73.00.42	0.31	शून्य	0.31
140	2401.00.789.97.00.42	0.09	शून्य	0.09
141	2401.00.789.96.00.42	0.09	शून्य	0.09
142	3435.03.103.84.00.42	0.10	शून्य	0.10
143	3435.03.789.99.00.42	0.02	शून्य	0.02
144	3435.60.800.86.00.42	0.10	शून्य	0.10
145	3435.60.800.84.00.42	0.10	शून्य	0.10
पूँजीगत				
146	4403.00.101.93	0.02	शून्य	0.02
147	4250.00.101.99	3.00	शून्य	3.00
148	5425.00.208.88.00.42	0.50	शून्य	0.50
कुल		803.05	शून्य	803.05

परिशिष्ट 3.1

निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा की स्थिति को दर्शानेवाली विवरणी
(पैराग्राफ 3.2 को देखें)

क्र.सं.	निकायों/प्राधिकरणों के नाम	नि.म.ले.प. को लेखों की लेखापरीक्षा सौंपे जाने की अवधि	जिस वर्ष तक के लेखे जमा कराए गए	जिस अवधि तक के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस ए आर) जारी किए गए	विधायिका में प्रस्तुत की गई एस ए आर	वर्ष जिनके लेखे देय हैं	लेखे जमा करने में विलम्ब की अवधि (वर्ष में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	दिल्ली कल्याण समिति (दि.क.स.)	नि.म.ले.प. के क.श.से.श. अधिनियम की धारा 20 (1) के अंतर्गत वर्ष 2013-14 से 2022-23 के लिए सौंपा जाना	2013-14	2013-14	विधायिका में पेश नहीं की गई	2014-15 तथा 2015-16	2
2.	गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जी.जी.एस.आई.पी.यू)	नि.म.ले.प. के क.श.से.श. अधिनियम 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2015-16	2015-16	स्थिति प्रतीक्षित	-	-
3.	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.एस.आई.टी)	2012-13 से 2016-17 नि.म.ले.प. के क.श.से.श. अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2014-15	2014-15	स्थिति प्रतीक्षित	2015-16	1
4.	दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.)	नि.म.ले.प. के क.श.से.श. अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2011-12	2011-12	स्थिति प्रतीक्षित	2012-13 से 2015-16	4
5.	दिल्ली भवन अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड	नि.म.ले.प. के क.श.से.श. अधिनियम 19(2) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2013-14	2013-14	स्थिति प्रतीक्षित	2014-15 तथा 2015-16	2
6.	दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (डी.एल.एस.ए.)	नि.म.ले.प. के क.श.से.श. अधिनियम 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2015-16	2014-15	स्थिति प्रतीक्षित	-	-
7.	दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डी.ई.आर.सी.)	नि.म.ले.प. के क.श.से.श. अधिनियम 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2016-17	2016-17	वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 17.01.2017 को राज्य विधायिका में प्रस्तुत की गई	-	-
8.	अम्बेडकर विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली	नि.म.ले.प. के क.श.से.श. अधिनियम 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2016-17	2015-16	स्थिति प्रतीक्षित	-	-

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1

9.	इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	नि.म.ले.प. के क.श.से.श. अधिनियम के सेक्शन 20(3) के अंतर्गत वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 के लिए सौंपा जाना	2015-16	2015-16	वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2015-16 तक के लिए 08.08.2017 को राज्य विधायका में प्रस्तुत की गई	-	-
10.	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	नि.म.ले.प. के क.श.से.श. अधिनियम के सेक्शन 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	-	-	-	2010-11 से आरम्भ हुई।	6